कमल संदेश

ikf{kd if=dk

**संपादक**

प्रभात झा, सांसद

**कार्यकारी संपादक**

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

**संपादक मंडल**

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

**कला संपादक**

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

**सदस्यता शुल्क**

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

**संपर्क**

Qku : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
lnL;rk : +91(11) 23005798

**ई-मेल**

kamalsandesh@yahoo.co.in

**प्रकाशक एवं मुद्रक** : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा


# विषय-सूची

**अयोध्या विवाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय**

एक रपट ........ 6
इतिहास और घटनाक्रम ........ 7
मीडिया में गूंजा ''अयोध्या निर्णय'' ........ 8

**लेख**

कानून द्वारा आस्था का अनुमोदन
ykyÑ".k vkMok.kh ........ 10
आस्था पर अदालती मुहर
jfo'kdj çlkn ........ 14
'सेक्युलरिस्टों' के नाम खुला पत्र
çHkkr >k ........ 16
न्यायिक तथ्यों का विवेचन
Hkkius ;kno ........ 17

**साक्षात्कार**

सी.पी. ठाकुर ........ 21

**मोर्चा / प्रकोष्ठ**

भाजपा महिला मोर्चा : राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक ........ 23
भाजयुमो : भारत प्रथम अभियान ........ 24

**अन्य**

भाजपा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को पत्र ........ 20
संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजनाथ सिंह का भाषण ........ 25
अरुणाचल प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला ........ 26

**राज्यों से**

vle % बांग्लादेश घुसपैठियों को वापस जाना होगा ........ 27
fnYyh % रक्तदान शिविर का आयोजन ........ 28
e/; izns'k % स्व.प्यारेलाल खंडेलवाल का पुण्य स्मरण ........ 29

**श्रद्धांजलि** % अशोक भट्ट, कन्हैयालाल नन्दन ........ 30

## संपादक के नाम पत्र...



# कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौती

हमेशा की तरह 'कमल संदेश' का अक्टूबर प्रथम अंक विचारोत्तेजक लगा। नए रंग रूप में पत्रिका न केवल सुंदर दिख रही है बल्कि उत्कृष्ट रचनाओं से समृद्ध भी है। लेखों को पढ़कर बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुईं। संपादकीय अच्छा लगा। आपने सही कहा है कि बिहार के लोग लालू यादव के लंबे कुशासन से त्रस्त हो चुके थे। गत पांच वर्षों में एनडीए की सरकार, जिसमें भाजपा और जदयू शामिल हैं, ने राज्य में आश्चर्यजनक विकास कार्य को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। साक्षात्कार स्तंभ में भाजपा, महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी ने मोर्चा की गतिविधियों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। महिला आरक्षण को लेकर केवल शोशेबाजी करनेवाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने ठीक ही चुनौती दी है कि वो भी भाजपा की तरह कांग्रेस संगठन में महिला आरक्षण लागू करें। 'वैचारिकी' स्तंभ के अंतर्गत एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय का लेख प्रकाशित कर आपने हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। ऐसे एक श्रेष्ठ अंक के लिए संपादकमंडल को साधुवाद।

*–रविरंजन आनन्द, डुमरांव, बक्सर (बिहार)*

### ikBdk l fuonu

किसी भी पत्रिका को पठनीय बनाने में पाठक की उल्लेखनीय भूमिका होती है। 'कमल संदेश' में छपी खबर, लेख, संपादकीय या समसामयिक मुद्दों पर आपकी राय सादर आमंत्रित हैं। कृपया पत्र में अपना नाम व पूरा पता अवश्य दें।

हमारा पता हैः

**l ikd d uke i=**
**dey l n'k**
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास
पीपी–66 सुब्रहमण्य भारती मार्ग
नई दिल्ली–110003
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैंः
kamalsandesh@yahoo.co.in

## उनका कहना है ...

भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विवाद को सर्वोच्च न्यायालय लेकर जाने के हक में नहीं हैं क्योंकि न्यायालय ने विवाद के मुख्य बिन्दु पर अपना फैसला सुना दिया है यदि अयोध्या में पंचकोसी क्षेत्र से हटकर मस्जिद का निर्माण सरयू नदी के किनारे किया जाता है तो भाजपा भी सहयोग करेगी। मंदिर और मस्जिद का निर्माण होना चाहिए पर अलग जगहों पर ताकि कोई विवाद न हो। अब बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है।

**fufru xMdjh]**
**jk"Vh; v/;{k Hkktik**

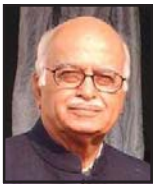



निर्णय में गर्भगृह में भव्य राम मंदिर निर्माण के हिन्दुओं के अधिकार की पुष्टि हुई है। यह भगवान राम के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**& ykyÑ".k vkMok.kh] vè;{k]**
**Hkktik l lnh; ny**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के दखल को नहीं माना। अदालत का फैसला भारत को बांटने वालों के लिए करारा जवाब है।

**&Mk- ejyh euksgj tks'kh**
**iof jk"Vh; v/;{k Hkktik**

तीनों न्यायाधीशों ने एकमत से माना कि विवादित स्थल रामलला का जन्मस्थान है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। वर्तमान पूजा स्थल व जन्मभूमि स्थान का मालिकाना हक हिन्दुओं को दिया जाएगा।

**& jfo'kdj i lkn] vfèkoDrk**
**jk"Vh; egklfpo] Hkktik**

सम्पादकीय

# नारा बना निर्णय
# विराजमान रहेंगे रामलला

*jkमलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' अब यह नारा नहीं निर्णय है। नारों में भी राम थे और निर्णय में भी राम हैं। यत्र–तत्र–सर्वत्र राम ही राम हैं। राम भारत का जीवन है। राम भारत की साख है। राम भारत की आस है। राम भारत की मर्यादा है। राम भारत का पुरूषोत्तम है। राम भारत की आस्था है। राम भारत की उदारता है। राम पुरुखों का सम्मान है। राम आदर्श पति है। राम आदर्श पिता है। राम आदर्श प्रभु हैं। राम समाज का जीवन है। राम दैत्यों के नाशक हैं। राम पुरुषार्थ है। राम जीवों के भी रक्षक हैं। राम सबके रक्षक हैं। राम पावन हैं। राम परिश्रमी हैं। राम आज्ञाकारी हैं। राम वनवासी भी हैं। राम शबरी के बेर में भी हैं और अयोध्या के राज्याभिषेक में भी। राम भरत के खड़ाऊ में हैं और कैकेयी के प्रलाप में। राम उत्तम भ्राता भी हैं। राम रावण के हंता भी हैं। राम सृष्टि हैं और सृष्टि के हर कण में राम ही राम हैं और चेतन में भी। हनुमान के ह्रदय में राम हैं। राम सबके हैं। राम उनके भी हैं जो उनको नहीं मानते हैं। राम उनके भी हैं जो उनको बहुत मानते हैं। ऐसा न होता तो शायद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से यह फैसला नहीं आता जिसमें कहा गया अयोध्या स्थित रामजन्मभूमि ही राम का जन्मस्थान है।*

*30 सितम्बर को अयोध्या मसले पर आये फैसले ने विश्व में एक इतिहास रचा है। विश्व को यह संदेश दिया कि भारत दैवीय शक्ति का सबसे बड़ा स्थान है। उसमें विश्व गुरू बनने की संभावना है। यह राम पर आये निर्णय का ही प्रताप था कि भगवान श्री राम ने निर्णय के बाद भारत भूमि पर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटने दी। भला भगवान के खिलाफ कौन खड़ा होता। अयोध्या मसले पर आये निर्णय में विश्व को शांति का संदेश है शुभ शांति एवं उदारता। तीनों न्यायाधीशों को शत्–शत् बधाई। उन्होंने राम की परिभाषा को अच्छी तरह समझाया है। भारतीय मुस्लिमों को भी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय एकता में विश्वास व्यक्त किया है उसे मजबूत करने की दिशा में और कदम बढ़ाये। मिलजुलकर एक मार्ग प्रशस्त करे। इस मामले में उदारता दिखायें। अगर कोई संतुष्टि के लिए उच्च से उच्चतम न्यायालय में जाये तो भी यह बात तो अब टल नहीं सकती कि रामलला वहीं पैदा हुए थे और रामलला की भूमि वहीं रहेगी इसलिए बिना समय गंवायें सब मंदिर निर्माण की दिशा में एक साथ, एक स्वर से सभी लोग विचार करें और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में वर्षों से संकीर्ण राजनीति करने वालों के मुंह पर सदैव–सदैव के लिए ताला लगा दें। ■*

# जहां रामलला विराजमान, वही उनका जन्मस्थान

**&fo'k"k laoknnkrk }kjk**

V योध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है, इसके अनुसार अयोध्या में विवादित भूमि पर जहां रामलला विराजमान है, वही उनका जन्म स्थान है। पीठ ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा लखनऊ बेंच ने 2:1 से खारिज कर दिया है। विवादित जमीन के 3 हिस्से किए गए हैं। जिसे तीनों पक्षकारों में अलग–अलग बांट दिया गया है। विवादित जमीन का केंद्रीय हिस्सा जहां मूतियां रखीं थीं, उसे रामलला का जन्मस्थान मानते हुए पूजा के लिए दिया गया है। निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष लखनऊ पीठ ने सुनाया है। न्यायिक पीठ के तीन अनुभवी न्यायाधीश, न्यायाधीश धर्मवीर शर्मा, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और न्यायाधीश सिबघट उल्लाह खान हैं। इस मामले में विवादित भूमि के तीन दावेदार थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड, हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा।



निर्णय के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं–

– विवादित जमीन 3 हिस्सों में बांटी गयी।
– सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड का दावा 2:1 से खारिज हुआ है।
– तीनों न्यायाधीशों ने माना है कि विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है।
– विवादित जमीन के मुख्य केंद्रीय हिस्से को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हुए रामलला की पूजा के लिए दिया गया है।
– विवादास्पद इमारत बाबर द्वारा बनाई गई थी। इसके निर्माण का साल निश्चित नहीं है लेकिन इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ इसे बनाया गया था। इसलिए इसका चरित्र मस्जिद का नहीं हो सकता है।
– विवादास्पद ढांचे का निर्माण पुराने ढांचे के स्थान पर उसे ही तोड़कर किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ने प्रमाणित किया है कि वहां एक विशाल हिन्दू धार्मिक ढांचा था।
– विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है जबकि तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया है।
– न्यायिक फैसले पर अगले 3 महीनों के अंदर कार्यवाही पूरी की जाएगी। ■

## ‘अयोध्या निर्णय’ से एक नये अध्याय की शुरुआत : भाजपा

***30 सितम्बर को जारी प्रेस वक्तव्य***

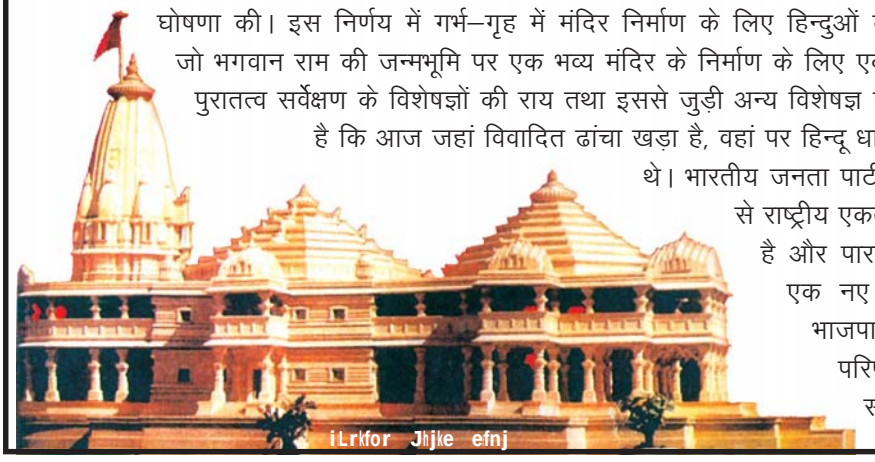

30 सितम्बर को लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने अपने निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय में गर्भ–गृह में मंदिर निर्माण के लिए हिन्दुओं के अधिकार को माना गया है, जो भगवान राम की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की राय तथा इससे जुड़ी अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों की यह स्पष्ट सम्मति है कि आज जहां विवादित ढांचा खड़ा है, वहां पर हिन्दू धार्मिक ढांचों के अवशेष विद्यमान थे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस निर्णय से राष्ट्रीय एकता का एक नया अध्याय खुलता है और पारस्परिक सामुदायिक सम्बंधों के एक नए युग की शुरूआत होती है। भाजपा को संतोष है कि देश ने बड़ी परिपक्वता से इस निर्णय पर सहमति जताई है। ■



iLrkfor Jhjke efnj

# अयोध्या विवाद संबंधी इतिहास और घटनाक्रम

*अयोध्या में विवादित भूमि का मुद्दा दशकों से एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है और इसे लेकर विभिन्न हिंदू एवं मुस्लिम संगठनों ने तमाम कानूनी वाद दायर कर रखे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद को लेकर इतिहास एवं घटनाक्रम इस प्रकार है–*

- **1528%** मुगल बादशाह बाबर ने उस भूमि पर एक मस्जिद बनवाई जिसके बारे हिंदुओं का दावा है कि वह भगवान राम की जन्मभूमि है और वहां पहले एक मंदिर था।
- **1853%** विवादित भूमि पर सांप्रदायिक हिंसा संबंधी घटनाओं का दस्तावेजों में दर्ज पहला प्रमाण।
- **1859%** ब्रिटिश अधिकारियों ने एक बाड़ बनाकर पूजास्थलों को अलग–अलग किया। अंदरुनी हिस्सा मुस्लिमों को दिया गया और बाहरी हिस्सा हिंदुओं को।
- **1885%** महंत रघुवीर दास ने एक याचिका दायर कर रामचबूतरे पर छतरी बनवाने की अनुमति मांगी, लेकिन एक साल बाद फैजाबाद की जिला अदालत ने अनुरोध खारिज कर दिया।
- **1949%** मस्जिद के भीतर भगवान राम की प्रतिमाओं का प्राकट्य। मुस्लिमों का दावा कि हिंदुओं ने प्रतिमाएं भीतर रखवाई। मुस्लिमों का विरोध। दोनों पक्षों ने दीवानी याचिकाएं दायर की। सरकार ने परिसर को विवादित क्षेत्र घोषित किया और द्वार बंद कर दिए।
- **18 tuojh 1950%** मालिकाना हक के बारे में पहला वाद गोपाल सिंह विशारद ने दायर किया। उन्होंने मांग की कि जन्मभूमि में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा का अधिकार दिया जाए। अदालत ने प्रतिमाओं को हटाने पर रोक लगाई और पूजा जारी रखने की अनुमति दी।
- **24 viy 1950%** उप्र राज्य ने लगाई रोक। रोक के खिलाफ अपील।
- **1950%** रामचन्द्र परमहंस ने एक अन्य वाद दायर किया लेकिन बाद में वापस ले लिया।
- **1959%** निर्मोही अखाड़ा भी विवाद में शामिल हो गया तथा तीसरा वाद दायर किया। उसने विवादित भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर हटाया जाए। उसने खुद को उस स्थल का संरक्षक बताया जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था।
- **18 fnlcj 1961%** उप्र सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ भी विवाद में शामिल हुआ। उसने मस्जिद और आसपास की भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा किया।
- **1986%** जिला न्यायाधीश ने हरिशंकर दुबे की याचिका पर मस्जिद के फाटक खोलने और 'दर्शन' की अनुमति प्रदान की। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की।
- **1989%** विहिप के उपाध्यक्ष देवकी नंदन अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक ताजा याचिका दायर करते हुए मालिकाना हक और स्वामित्व भगवान राम के नाम पर घोषित करने का अनुरोध किया।
- **23 vDVcj 1989%** फैजाबाद में विचाराधीन सभी चारों वादों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष पीठ में स्थानांतरित किया गया।
- **1989%** विहिप ने विवादित मस्जिद के समीप की भूमि पर राममंदिर का शिलान्यास किया।
- **1990%** विहिप के स्वयंसेवकों ने मस्जिद को आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने का प्रयास किया।
- **6 fnlcj 1992%** विवादित मस्जिद को विहिप, शिवसेना और भाजपा के समर्थन में हिंदू स्वयंसेवकों ने ढहाया। इसके चलते देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें 2000 से अधिक लोगों की जान गई।
- **16 fnlcj 1992%** विवादित ढांचे को ढहाए जाने की जांच के लिए न्यायमूर्ति लिब्रहान आयोग का गठन। छह माह के भीतर जांच खत्म करने को कहा गया।
- **tykb 1996%** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी दीवानी वादों पर एकसाथ सुनवाई करवाने को कहा।
- **2002%** हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से खुदाई कर यह पता लगाने को कहा कि क्या विवादित भूमि के नीचे कोई मंदिर था।
- **viy 2002%** हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों ने सुनवाई शुरू की।
- **tuojh 2003%** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत के आदेश पर खुदाई शुरू की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां भगवान राम का मंदिर था।
- **vxLr 2003%** सर्वेक्षण में कहा गया कि मस्जिद के नीचे

*शेष पृष्ठ 15 पर*

# मीडिया में गूंजा ''अयोध्या निर्णय''

***अयोध्या मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 30 सितम्बर को ऐतिहासिक निर्णय दिया। अगले दिन 1 अक्टूबर को मीडिया में इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से जगह दी गई। हिन्दी के दैनिक समाचार–पत्रों में यह निर्णय जबर्दस्त तरीके से छाया रहा। हम यहां इस मसले पर प्रमुख समाचार पत्रों की सम्पादकीय टिप्पणी के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:–***

## दैनिक जागरण

**ने अपने सम्पादकीय में ''फैसले के बाद'' शीर्षक के अंतर्गत लिखा है-** ''अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया और कहीं कुछ अप्रिय नहीं घटित हुआ। यह देश की जनता के संयम की जीत है और इसके लिए उसे बधाई मिलनी चाहिए, लेकिन संयम का यह प्रदर्शन भविष्य में भी होना चाहिए–न केवल अयोध्या विवाद के संदर्भ में, बल्कि अन्यमामलों में भी। वस्तुतः यही वह उपाय है जो भारत को




सबल बनाएगा। चूंकि उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा कर दी गई है और यह अपेक्षा के अनुरूप भी है इसलिए अब निगाहें शीर्ष अदालत पर होंगी। बावजूद इसके उच्च न्यायालय के फैसले की अपने–अपने हिसाब से व्याख्या होना स्वाभाविक है और वह होगी भी–इसलिए और भी अधिक, क्योंकि फैसले के बिंदु ही ऐसे हैं। उदाहरणस्वरूप यह बिंदु कि जब गिराया गया ढांचा मंदिर के स्थान पर बना था तो फिर एक तिहाई हिस्सा मुस्लिम संगठनों को देने का क्या आधार है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इस बिंदु पर तीनों न्यायाधीश एकमत नहीं। हां, जिस एक बिंदु पर वे एकमत हैं वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जहां रामलला की मूर्तियां स्थापित हैं वह राम जन्म स्थान है।

## अमर उजाला

**ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है- ''फैसला मानें, भावना समझें''। समाचार पत्र ने लिखा है-** ''अयोध्या विवाद पर हाई कोर्ट का जैसा फैसला आया है उससे सभी पक्षों को खुश होना चाहिए और मुल्क के सबसे विवादास्पद मसलों में स्थान रखनेवाले इस मामले को अदालत की भावना के अनुरूप ही सुलझाने में अपना–अपना योगदान करना चाहिए।

रामलला की मूर्ति अपने स्थान पर रहे और पूरे विवादास्पद परिसर को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड के हवाले कर दें, इस फैसले का मूल स्वर यही निकलता है कि मंदिर भी बने, नमाज भी हो और सीता रसोई–राम चबूतरा भी रहे। यह किसी किस्म की जय–पराजय से परे है।

यह फैसला एक बड़ा अवसर बन सकता है कि सभी पक्ष मिलकर धर्मस्थल निर्माण कराएं।''

## दैनिक भास्कर

**ने अपने संपादकीय में बताया है कि समाधान के लिए यही सबसे उपयुक्त समय है। संपादकीय कहता है** ''इस फैसले का ऐतिहासिक महत्व है। यह कहा जाता रहा है कि अयोध्या विवाद जिस तरह का है और जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं, उनका निर्णय न्यायिक फैसलों से नहीं हो सकता।

इसके बावजूद कई दशकों से मामला अदालतों में लंबित था, तो इसीलिए कि जब बातचीत से रास्ता नहीं निकल पा रहा हो, तब न्याय के मंदिरों पर निर्भर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं।

अब एक बड़े फैसले में हाई कोर्ट ने मामले के कानूनी पहलुओं पर निर्णय सुना दिया है। इस तरह अदालत ने विवाद के कानूनी पहलुओं पर न्यायिक रोशनी की लकीर खींच दी है।''

# समाचार पत्रों की सुर्खियां

English Newspaper

- High Court awards two-thirds of disputed Ayodhya site to Hindu parties, one-third to Sunni Waqf Board- The Hindu
- LAND DIVIDED, INDIA UNITED- THE ECONOMIC TIMES
- AYODHYA'S RAM IN PLACE- THE STATESMAN
- MANDIR AUR MASJID- THE ASIAN AGE
- Disputed site is Ram birthplace: HC- hindustan times
- 2 Parts To Hindus, 1 part To Muslims-THE TIMES OF INDIA
- INNOVATIVE VERDICT- the pioneer
- Ram stays, split Ayodhya land: HC- The Indian EXPRESS
- AYODHYA HEADS TO SUPREME COURT- The Tribune

**हिंदी समाचार-पत्र**

- जहां रामलला विराजमान, वही जन्मस्थान–पंजाब केसरी
- रामलला रहेंगे विराजमान–दैनिक जागरण
- वहीं रहेंगे रामलला– नई दुनिया
- रामलला विराजमान रहेंगे–अमर उजाला
- मूर्तियां नहीं हटेंगी, जमीन बंटेगी–हिंदुस्तान
- किसी एक की नहीं अयोध्या–नवभारत टाइम्स
- तीन बराबर हिस्सों में बंटे विवादित भूमि–जनसत्ता
- तीन हिस्सों में बंटेगी विवादित भूमि–राष्ट्रीय सहारा

**नवभारत टाइम्स अपने संपादकीय में लिखता है-** ''अयोध्या मामले में फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून और आस्था के बीच का रास्ता निकाला है। उसने सरकारी दस्तावेजों को ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और सामाजिक–सांस्कृतिक विश्वासों को भी अपना आधार बनाया है। कोर्ट ने एक अहम पहलू की ओर इशारा किया है, जिसका अर्थ इस देश को समझना चाहिए। वह है साथ रहने की संस्ति। दरअसल हमारे जीवन का पूरा तानाबाना एक साथ कई चीजों पर टिका हुआ है। हमारे पास न जाने कितनी स्मृतियां हैं, परंपराएं हैं, गाथाएं हैं, हमारे खुद के बनाए नियम–कानून हैं। पर इन सबको संभाले हुए अगर हम चल रहे हैं तो इसलिए कि हमारे भीतर साथ चलने का जज्बा है। अदालत ने यही बताना चाहा है। इस देश के सभी समुदाय मुल्क की विरासत के साझा हिस्सेदार हैं और हम किसी भी उलझन को आपस में मिलकर ही सुलझा सकते हैं। मिल– बांट कर चलने का भाव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अदालत का यह निर्णय विवादित स्थल के संतुलित बंटवारे का हल ही नहीं सुझाता, बल्कि इसी सूत्र के सहारे आगे का रास्ता तय करने का भी संदेश देता है।

**पंजाब केसरी ने अपने सम्पादकीय में ''भये प्रकट कृपाला.....'' शीर्षक के अंतर्गत लिखा है-** ''इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्वीकार कर लिया है कि हिन्दुओं के आराध्य भगवान श्रीराम का जन्म स्थान वही है जहां राम लला विराजमान हैं अतः यह स्थान रामजन्म भूमि ही रहेगा। इसके साथ ही तीन सदस्यीय पीठ के तीनों न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एस.यू. खान, सुधीर अग्रवाल व धर्मवीर शर्मा ने बहुमत से सुन्नी वक्फ बोर्ड की मालिकाना हक की अर्जी नामंजूर करते हुए पूरी विवादित भूमि को तीन भागों में बांटने का फैसला दिया है। एक भाग पर राम लला विराजमान रहेंगे, दूसरे पर निर्मोही अखाड़े की सीमा की रसोई रहेगी और तीसरे पर मुस्लिम बन्धुओं का अधिकार रहेगा। मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय के फैसले से एक बात अंतिम रूप से सिद्ध हो गई है कि भगवान श्रीराम के जन्मस्थान के बारे में विवाद समाप्त हो गया है। अब यह तय हो गया है कि देश के करोड़ों हिन्दुओं की अयोध्या के बारे में जो आस्था है वह निर्मूल नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो भारत की वास्तविकता श्रीराम हैं और उनकी अयोध्या में उपस्थित निर्विवाद रही है।''

**हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है- ''फैसले के बाद''। समाचार पत्र ने लिखा है-** ''यह दूरगामी और ऐतिहासिक महत्व का फैसला है जिसका जिक्र भारत के न्यायिक इतिहास में ही नहीं, राजनैतिक और सामाजिक इतिहास में भी प्रमुखता से किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भारत के सभी वर्गों और समूहों के लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि इस फैसले को लेकर अशांति फैलाने का काम न किया जाए।'' ■

*प्रस्तुति – संजीव कुमार सिन्हा*

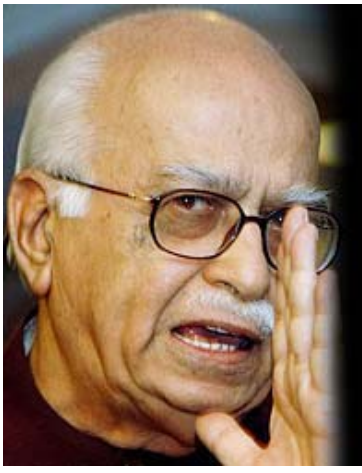

# यह आस्था बनाम कानून नहीं, यह कानून द्वारा आस्था का अनुमोदन है

**ykyÑ".k vkMok.kh**

मैंने अपने जीवन के शुरु के बीस वर्ष कराची में बिताए। इस दौरान मैं दो ही भाषाओं को जानता था एक मेरी मातृभाषा सिंधी और दूसरी अंग्रेजी, जिसमें मेरी पढ़ाई हुई।

फिल्मों के प्रति मेरे शौक के चलते मैं हिंदी कुछ–कुछ समझ लेता था और टूटी–फूटी बोल भी लेता था लेकिन मैं हिन्दी पढ़ और लिख नहीं सकता था।

विभाजन के एक माह पश्चात् सितम्बर, 1947 में, मैं देश के इस भाग में आया। आगामी अगले दशक 1947–1957 में मैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में (संघ) प्रचारक के रुप में सक्रिय रहा।

देवनागरी लिपि से पूर्णतया अनभिज्ञता मेरे मन पर बोझ था। देवनागरी सीखने के उद्देश्य से मैंने पहले उसकी वर्णमाला और तत्पश्चात् ज्यादा से ज्यादा हिन्दी पुस्तकें पढ़ीं।

इसी दौर में मैंने डा. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा लिखित गुजरात से सम्बन्धित सभी ऐतिहासिक उपन्यास पढे। इससे काफी पूर्व मैं फ्रेंच लेखक अलक्जेंडर डुमास के उपन्यास थ्री मस्कटियर्स, दि काउण्ट ऑफ मोण्टे क्रिस्टस, ब्लैक टयुलिप इत्यादि पढ़ चुका था। मैंने डा. मुंशी की शैली पर डुमास का प्रभाव देखा। मेरे अध्ययन के दौरान ही डा. मुंशी लिखित पुस्तकों (मूलतः गुजराती में लिखित) में से जय सोमनाथ, पुस्तक को पढ़ने का अवसर मुझे मिला, जिसने बाद में भी मेरी राजनीति को प्रभावित किया।

हालांकि, जय सोमनाथ एक काल्पनिक कथा थी जो सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण और उसके तहस–नहस तथा लूटने की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। लेकिन उसे पढ़ते हुए सोमनाथ की कहानी में मुझे स्वतंत्र भारत के आधुनिक दिनों की छाप दिखी। स्वामी विवेकानन्द समग्र साहित्य में 'भारत का भविष्य' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक लेख में स्वामीजी लिखते हैंः

'विदेशी आक्रमणकारी एक के बाद एक मंदिर तोड़ता रहा' लेकिन जैसे ही वह वापस जाता, फिर से वहां उसी भव्य रुप में मंदिर खड़ा हो जाता। दक्षिण भारत के इन मंदिरों में से कुछ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे अन्य मंदिर आपको भारतवर्ष के इतिहास के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं, जो आपको पुस्तकों के भंडार से भी जानने को नहीं मिलेगा। सोचिए, इन मंदिरों पर विध्वंस और पुनर्निर्माण के सैकड़ों निशान मौजूद हैं–लगातार बार–बार टूटते रहे और ध्वंसाशेषों से ही फिर बार बार खड़े होते रहे, पहले से भी ज्यादा भव्यता के साथ! यही है राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय जीवनधारा। इस धारा के साथ चलिए, यह आपको गौरव की ओर ले जाएगी।'

ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अनेक हिंदुओं को लगा कि यह न केवल अंग्रेजी राज्य से मुक्ति है, बल्कि पूर्व–ब्रिटिश भारतीय इतिहास के उन पहलुओं से भी मुक्ति है, जिन्हें मूर्ति–भंजन, हिन्दू मंदिरों के विध्वंस और वंशीय पराभव तथा श्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपराओं के उल्लंघन जैसी दुष्प्रवृत्तियों के रुप में देखा जाता रहा है।

ऐसी ही स्थिति गुजरात में सौराष्ट्र के जूनागढ़ रियासत में उत्पन्न हुई थी, जहां सोमनाथ का मंदिर स्थित है। जूनागढ़ की 80 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन रियासत का नवाब मुसलमान था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। इससे रियासत के हिन्दू भड़क उठे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरुप एक स्थानीय कांग्रेसी नेता सामलदास गांधी के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार बनायी गई। नवाब तो स्वभाव से ही विलासिताप्रिय और

लापरवाह शासक था, रियासत की जनता उसे बिलकुल पसंद नहीं करती थी, ने पाकिस्तान से मदद मांगी। परन्तु उसकी कोई भी युक्ति सफल नहीं हुई और अंततः एक रात वह चुपचाप पाकिस्तान भाग गया ।

सामलदास गांधी और रियासत के दिवान सर शाह नवाज भुट्टो– जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे– ने भारत को संदेश भेजा कि जूनागढ़ रियासत भारत में विलय करने वाली है। अपनी पुस्तक 'पिलग्रिमेज टु फ्रीडम' में के0एम0 मुंशी ने उस समय को याद करते हुए लिखा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल –जो उस समय भारत के गृहमंत्री थे और जिन्हें देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय जाता है–ने उन्हें (के0एम0 मुंशी) विलय की सूचना वाला तार सौंपते हुए बड़े स्वाभिमान के साथ उद्घोष कियाः 'जय सोमनाथ'।

जूनागढ़ के भारत में विलय के बाद सरदार पटेल ने 9 नवम्बर, 1947 को सौराष्ट्र का दौरा किया। उनके साथ नेहरु मंत्रिमंडल में तत्कालीन लोकनिर्माण एवं शरणार्थियों के पुनर्वास मंत्री एन0वी0 गाडगिल भी थे। जूनागढ़ की जनता ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने सम्मान में आयोजित जनसभा में सरदार पटेल ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा कीः स्वतंत्र भारत की सरकार ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का उसी स्थान पर पुनरुद्धार करेगी, जहां प्राचीन काल में वह स्थित रहा था और उसमें ज्योतिर्लिंगम पुनः स्थापित किया जाएगा।

जूनागढ़ से सरदार पटेल के लौटने के तुरंत पश्चात् प्रधानमंत्री नेहरु ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर पटेल की घोषणा की औपचारिक पुष्टि की। उस शाम जब पटेल और मुंशी गांधीजी को मिले तो उन्होंने भी इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दिया लेकिन साथ ही बताया कि निर्माण की लागत जनता उठाए न कि सरकार। इसलिए सोमनाथ ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार ने डा. के0एम0 मुंशी को सोमनाथ मंदिर निर्माण सम्बंधी परामर्शदात्री समिति का चेयरमैन नियुक्त किया। डा. मुंशी ने तय किया कि सरदार पटेल से मंदिर का लोकार्पण करवाया जाएगा। परन्तु जब तक निर्माण कार्य पूरा हुआ, सरदार पटेल का निधन हो गया।

**अपनी पुस्तक 'पिलग्रिमेज टू फ्रीडम' में मुंशी लिखते हैंः**

''जब मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापना का समय आया तो मैंने डा. राजेन्द्र प्रसाद से सम्पर्क कर पूछा कि वे समारोह में आएं लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगाई कि वे तभी निमंत्रण स्वीकारें जब वे किसी भी हालत में आने को तैयार हों।

''डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे मूर्ति प्रतिष्ठापना के लिए आएंगे चाहे प्रधानमंत्री का रवैया कैसा भी हो और उन्होंने जोड़ा 'मुझे अगर मस्जिद या गिरजाघर के लिए भी आमंत्रित किया जाता तो भी मैं उसे स्वीकार ही करता।' यही भारतीय पंथनिरपेक्षवाद का मूल तत्व है। हमारा देश न अधार्मिक है और न ही धर्म–विरोधी।

''मेरा अंदेशा सही निकला। जब यह घोषणा हुई कि राजेन्द्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उदघाटन करेंगे तो पंडित जवाहर लाल ने उनके वहां जाने का जोरदार विरोध किया। लेकिन राजेंद्र बाबू ने अपने वचन का पालन किया।''

जून 1998 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में हुई और उसमें अयोध्या आंदोलन को समर्थन देने का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में सरकार से आग्रह किया गया कि वह अयोध्या मंदिर मामले में वही दृष्टि अपनाए जो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने सोमनाथ मंदिर के बारे में अपनाई थी।

25 सितम्बर, 1990 से सोमनाथ से अयोध्या की 10,000 किलोमीटर लम्बी रथयात्रा का मेरा निर्णय अयोध्या मंदिर के मुद्दे के लिए समर्थन जुटाना था। यात्रा ने देश में एक बहस को जन्म दियाः वास्तविक सेकुलरिज्म बनाम छद्म सेकुलरिज्म–ऐसी ही बहस चालीस वर्ष पूर्व जब पंडित नेहरु ने सोमनाथ संबधी ऐसे ही कार्य के लिए डा. मुंशी को फटकारा था, के समय पहली बार सामने आई थी।

***राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी–दोनों ने ही जोर दिया है कि यह निर्णय देश में लाखों लोगों के इस विश्वास को मान्यता देता है कि जहां वर्तमान में रामलला विराजमान हैं–वही राम का जन्म स्थान है।***

डा. मुंशी ने भवन की पत्रिका के एक अंक में पिलग्रिमेज टु फ्रीड्म को पुनः उद्धृत करते हुए लिखाः

मंत्रिमंडल की बैठक समाप्ति के बाद जवाहरलाल ने मुझे बुलाया और कहा ''सोमनाथ को पुनर्स्थापित करने के आपके प्रयास मुझे पसंद नहीं हैं। यह हिन्दू नवजागरण है।''

डा. मुंशी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की। परन्तु उनकी सुविचारित प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री को भेजे अनेक पृष्ठों के लम्बे

पत्र के रुप में सामने आई जिसमें उन्होंने जोर दिया कि उनकी गतिविधियां कोई व्यक्तिगत उपक्रम न होकर सरकार के स्वयं के निर्णय की पालना हैं।

सोमनाथ के पुनरुद्धार से जुड़े सामाजिक सुधार के पहलू पर जोर देते हुए मुंशी ने आगे लिखाः

''मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खोलने के निर्णय की हिन्दू समुदाय के कट्टरपंथी वर्ग की ओर से कुछ आलोचना जरुर हो रही है, लेकिन ट्रस्ट के करारनामें में स्पष्ट कर दिया गया है कि मंदिर के द्वार न केवल हिंदू समुदाय के सभी वर्गों के लिए खुले हैं, बल्कि सोमनाथ मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार, वह गैर हिंदू यात्रियों के लिए भी खुले हैं।

कई रीति–रिवाजों को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बचपन से ही तोड़ता रहा हूं। हिंदूधर्म के कुछ पहलुओं को जोड़ने के लिए मैंने अपने साहित्यिक और सामाजिक कार्य के माध्यम से अपनी ओर से विनम्र प्रयास किया है –इस विश्वास के साथ कि ऐसा करके ही आधुनिक परिस्थितियों में भारत को एक उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है।'

**पत्र की समाप्ति इन मार्मिक और चेतावनी भरे शब्दों के साथ हुई :**

''भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में कार्य करने की शक्ति मुझे अतीत के प्रति अपने विश्वास से ही मिली है। भारत की स्वतंत्रता अगर हमें भगवद्गीता से दूर करती है या हमारे करोड़ों लोगों के इस विश्वास या श्रद्धा को तोड़ती है, जो हमारे मंदिरों के प्रति उनके मन में है और हमारे समाज के ताने–बाने को तोड़ती है तो ऐसी स्वतंत्रता का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का जो सपना मैं हर रोज देखता हूंए उसे पूरा करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। इससे मेरे मन में यह अहसास और विश्वास उत्पन्न होता है कि इस पवित्र स्थल के पुनरूद्धार से हमारे देशवासियों की धार्मिक अवधारणा अपेक्षाकृत और शुद्ध होगी तथा इससे अपनी शक्ति के प्रति उनकी सजगता और भी बढ़ेगी, जो स्वतंत्रता के इन कठिनाई भरे दिनों में बहुत आवश्यक है।''

यह पत्र पढ़कर जाने–माने प्रशासनिक अधिकारी, वी.पी. मेनन–जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भरपूर मदद की थी–ने मुंशी को एक पत्र लिखा–''मैंने आपके इस अद्भुत पत्र को देखा है। जो बातें आपने पत्र में लिखी हैं, उनके लिए मैं तो जीने, और आवश्यकता पड़ने पर मरने के लिए भी तैयार हूं।''

सन् 2008 के शुरु में लिखी गई मेरी आत्मकथा में, मैंने वाजपेयी सरकार के दौरान अयोध्या विवाद के होने वाले समाधान के बारे में विस्तार से लिखा है। पृष्ठ 337–338 (हिन्दी) में मैंने लिखाः

'अयोध्या आंदोलन में प्रमुख भागीदार के रुप में राजग के छह वर्ष के शासन काल में मेरा प्रयास रहा कि यह विवाद शीघ्रतापूर्वक तथा शांति से कैसे सुलझाया जा सकता है।

'इस विवाद के समाधान के प्रमुख तीन विकल्प थेः (1) विधि द्वारा, (2) न्यायिक निर्णय द्वारा, तथा (3) हिंदू और मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा।

'अयोध्या मुद्दे पर राजनीतिक और न्यायिक पहलुओं की भली प्रकार से समीक्षा के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंतिम विकल्प ही सर्वोत्तम मार्ग था–मैंने अनेक अवसरों पर संसद् के भीतर और बाहर, इस विकल्प की चर्चा भी की थी।

'संक्षेप में, मेरा यह विचार था, 'विधायी समाधान'' का खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी संभावना क्षीण है। न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय के दोनों में से किसी एक पक्ष को दुःख और कष्ट होगा। तीसरे विकल्प की स्वीकार्यता और उसके स्थायित्व की संभावना अधिक है तथा निस्संदेह परस्पर स्वीकार्य समझौते को भी न्यायपालिका की संतुति लेनी आवश्यक होगी, जिससे सभी लंबित मामले खत्म हो जाएंगे।

इस अर्थ में अंतिम समाधान विकल्प 2 और 3 का मिश्रित रुप होगा।

'मुझे यह प्रसन्नता है कि अटलजी और मैं इस रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए राजग के सहयोगी दलों को राजी करने में सफल रहे। तद्नुसार, 2004 के संसदीय चुनावों के लिए इस गठबंधन के चुनाव घोषणा –पत्र में कहा गया था–

''राजग का विश्वास है कि अयोध्या मुद्दे के शीघ्र और मैत्रीपूर्ण समाधान से राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। हमारा सदैव यही मानना रहा है कि इस विषय में न्यायिक निर्णय को सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही, परस्पर संवाद तथा आपसी विश्वास और सद्भावपूर्ण वातावरण से हुए एक सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए भी प्रयासों को गति देनी चाहिए।''

''मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के छह वर्षों के शासनकाल में गृहमंत्री के पद पर रहते हुए मैंने दोनों पक्षों को न्यायिक बातचीत के साझा मंच पर लाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे इस प्रयास में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के निष्ठावान मध्यस्थों ने सहयोग दिया। बातचीत के कई दौर के बाद अंततः आपसी सहमति पर आधारित हल स्पष्ट दिखाई देने लगा था–और इस प्रकार रामजन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी

तैयार होने वाला था।

''वर्ष 2004 के आरंभ में ही इस आपसी समझौते के सिद्धांत तय कर लिये गए थे और यह निर्णय लिया गया कि मई में होने जा रहे चौदहवीं लोकसभा के चुनावों के तुरंत बाद इसकी घोषणा की जाएगी। वस्तुतः यह निर्णय इस उम्मीद पर लिया गया था कि लोकसभा चुनावों में वाजपेयी सरकार को नया बहुमत मिलेगा और तब वह इस समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी स्वयं लेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना था।

'किन्तु मैं तो नियति में अटूट विश्वास रखता हूं। मुझे विश्वास है कि अयोध्या में रामजन्मभूमि पर एक भव्य और विराट् मंदिर बनना अवश्यंभावी है। ऐसा कैसे और कब होगा, इसका महत्व कम है और यह आनेवाला समय और इतिहास ही बताएगा।

लेकिन यह बात उतनी ही सत्य है जितना कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमणकारियों द्वारा बार–बार तोड़ा जाना और बार–बार उसे बनाया जाना तथा स्वतंत्रता मिलते ही उसका स्थायी रुप से पुनरुद्धार किया जाना।

'मेरे लिए यह गर्व की बात है कि शताब्दियों पुराने हिंदू संकल्प को पूरा करने के इस सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास में मुझे अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। मेरा अपने मुस्लिम भाइयों से केवल इतना अनुरोध है कि वे हिंदुओं की तरह ही उदार और सद्भावपूर्ण पहल के साथ आगे आएं।'

आज मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि दो दिन पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बाद देश एक ऐसे संयोगजन्य मोड़ पर आ पहुंचा है जहां उपरोक्त लिखित विकल्प 2 और 3 के सम्मिश्रण के रुप में संभव हो सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी–दोनों ने ही जोर दिया है कि यह निर्णय देश में लाखों लोगों के इस विश्वास को मान्यता देता है कि जहां वर्तमान में रामलला विराजमान हैं–वही राम का जन्म स्थान है। अब स्थिति आस्था बनाम कानून नहीं बल्कि कानून द्वारा आस्था की अनुमोदन करने वाली है। ■

# श्रीराम मन्दिर निर्माण भारत की पहचान

श्रीरामजन्मभूमि को लेकर चलते आए न्यायिक विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दि. 30 सितम्बर 2010 को घोषित निर्णय से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तथा उनकी जन्मभूमि अयोध्या के प्रति भारत के जनमानस की सनातन आस्था को अनुमोदित व सम्मानित किया है। इसलिए निर्णयकर्ता न्यायाधीशों का, न्यायिक प्रक्रिया में सहभागी अधिवक्ताओं का, श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व करनेवाले सभी संतों का, आंदोलन करनेवाली जनता सहित सभी सहयोगियों का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। उस आस्था की प्रतिष्ठापना के लिए चले श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान देनेवाले कोठारी बंधुओं जैसे सभी कारसेवकों की पवित्र व तेजस्वी स्मृति में हम अपनी श्रद्धावनत आदरांजलि अर्पण करते हैं।

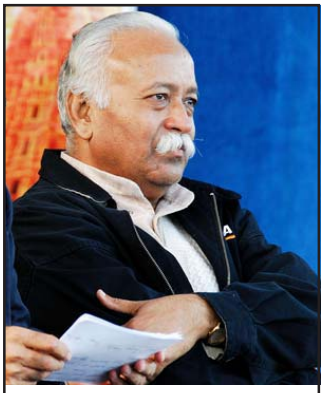

प.पू. सरसंघचालक मा. मोहन भागवत् जी का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अयोध्या निर्णय पर वक्तव्य

मंदिर का निर्माण इस देश की पहचान, अस्मिता, स्वातंत्र्याकांक्षा तथा विजिगीषा का गौरव हैं। अपने इस भारतवर्ष की सनातन, सर्वसमावेशक, सबके प्रति आत्मीय व सहिष्णु संस्कृति के आचरण की मर्यादा के मानक श्रीराम हैं। मंदिर निर्माण का आंदोलन किसी वर्गविशेष के विरोध अथवा प्रतिक्रिया में नहीं हैं।

अतएव रामजन्मभूमिपर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करनेवाले न्यायालय के इस निर्णय को समाज के किसी वर्ग की विजय अथवा पराजय के रूप में नही देखा जाना चाहिए। अपने हर्ष को संयमित, शांतिपूर्ण, विधि व संविधान की मर्यादा में ही, अकारण उत्तेजना से बचते हुए समझदारी से व्यक्त करना चाहिए। राष्ट्रीय संस्कृति की सहिष्णुता व सर्वसमावेशकता की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, पुरानी घटनाओंको भूलकर, एक भव्य व पवित्र लक्ष्य के आधारपर, अनेक भौगोलिक, भाषिक व पांथिक विविधताओंसे सुशोभित अपने समाज को एकात्मता व मर्यादा के दृढ सूत्र में गूँथकर भेदरहित बनाने का यह अवसर मिला हैं। इसीलिये इस अवसर पर इस देशके मुसलमानों सहित अपने समाज के सभी वर्गोको हमारा हार्दिक तथा आत्मीयतापूर्ण आवाहन हैं कि गत दशकों में चले अनेक विवादों की कटुता, हृदयों की विषमता व असहजता को भूलकर न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए श्रीराम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण की संवैधानिक व व्यावहारिक व्यवस्थाएँ निर्माण करने के अभियान में मिलजुलकर सहयोगी बने। ■

# आस्था पर अदालती मुहर

**& jfo'kdj çlkn**

बससे अधिक बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि अयोध्या में विवादित स्थल को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने एक मत से यह विचार व्यक्त किया कि करोड़ों हिंदू जिस स्थान को श्रीराम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देते हैं वह वास्तव में वही स्थान है जहां उनका जन्म हुआ। इतना ही महत्वपूर्ण अदालत का यह फैसला भी है कि जिस ढांचे को बाबरी मस्जिद बताया जा रहा है उसके संदर्भ में यह साबित नहीं होता कि उसका निर्माण बाबर अथवा उसके सेनापति मीर बकी ने कराया था। अयोध्या मामले में उच्च न्यायालय की पीठ के तीनों न्यायाधीशों ने मूल रूप से अलग–अलग फैसला दिया है, लेकिन जिन सवालों पर उन्होंने एक राय से उत्तर दिया है वे कुल मिलाकर यह स्पष्ट करते हैं कि रामजन्मभूमि परिसर ही भगवान श्रीराम का जन्मस्थल है। इस मामले में यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुसलमान कभी भी इस तथ्य को विवादित नहीं मानते थे कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का जन्म हुआ और न ही उन्हें इस पर आपत्ति रही है कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। उनके लिए विवादित तथ्य यह रहा है कि जिस स्थान को हिंदुओं की ओर से भगवान श्रीराम का जन्मस्थान बताया जा रहा है वहां उनका जन्म नहीं हुआ और वह वास्तव में एक मस्जिद है। इसी बिन्दु पर न्यायाधीशों ने एक मत से यह फैसला दिया है।

हमने जिस मुख्य बिंदु पर अदालत में बहस की थी वह यह कि हिंदू दर्शन में देव की कल्पना है और वह साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। ईश्वर ही आदि है, अनंत है। हिंदू समाज वायु और अग्नि की पूजा करता है। जिस प्रकार ये दोनों निराकार हैं उसी प्रकार ईश्वर भी निराकार हैं। आस्था में स्थान का महत्व होता है। गंगा पूरे देश में पूजनीय हैं, लेकिन गंगा का जो महत्व हरिद्वार में है वह अन्य स्थानों पर नहीं हो सकता। हमारा प्रश्न यह है कि हिंदू चिंतन में मंदिर क्यों होता है? मंदिर का अर्थ ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर की अनुभूति है। मंदिर का अर्थ ईश्वर के आशीर्वाद की आंकाक्षा है। रामजन्म स्थान हिंदुओं के लिए आराध्य स्थल है–इसलिए है, क्योंकि वहां भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। यह हमारी मान्यता भी है, श्रद्धा भी है और आस्था भी। यह करोड़ों हिंदुओं का विश्वास है। उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने यह पाया है कि हिंदुओं का यह विश्वास पूरी तरह सही है। जिस स्थल के स्वामित्व का फैसला होना है वह वही स्थान है जहां भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। इसलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए देवतुल्य है, पूजनीय है, पवित्र है। इस संदर्भ में वैसे तीनों न्यायाधीशों की राय एक है, लेकिन जस्टिस एसयू खान ने इसे एकदम स्पष्ट नहीं किया है। न्यायमूर्ति शर्मा ने समूचे विवादित स्थल के मालिक भगवान राम को बताया है। न्यायमूर्ति खान और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने निर्णय दिया है कि विवादित स्थल को तीन बराबर हिस्सों में बांटकर सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़े और रामलला विराजमान को सौंप दिया जाए। न्यायमूर्ति खान ने भी निर्णय दिया है कि वास्तविक बंटवारे के समय बीच वाले गुंबद के नीचे जिस स्थान पर रामलला का अस्थाई मंदिर बना है वह हिंदुओं को ही दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाएगा, जिसमें राम चबूतरा और सीता रसोई शामिल रहेंगे।

***अयोध्या मामले में उच्च न्यायालय की पीठ के तीनों न्यायाधीशों ने मूल रूप से अलग–अलग फैसला दिया है, लेकिन जिन सवालों पर उन्होंने एक राय से उत्तर दिया है वे कुल मिलाकर यह स्पष्ट करते हैं कि रामजन्मभूमि परिसर ही भगवान श्रीराम का जन्मस्थल है।***

जहां तक बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाए जाने की बात है तो इसको लेकर तीनों जजों की राय अलग–अलग रही। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने विचार व्यक्त किया कि विवादित ढांचे का निर्माण एक गैर–इस्लामी इमारत अर्थात् मंदिर के विध्वंस के बाद कराया गया था। इसी प्रकार न्यायमूर्ति शर्मा ने निर्णय दिया कि विवादित ढांचे का निर्माण हिंदू धार्मिक इमारत को ढहाकर कराया गया था।

उन्होंने आगे लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साबित किया है कि मस्जिद के निर्माण से पहले वहां विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा था। दूसरी ओर न्यायमूर्ति खान का विचार है कि मस्जिद बनवाने के लिए किसी मंदिर को नहीं ढहाया गया। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण मंदिर के खंडहर के ऊपर कराया गया था। वह मंदिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से काफी पहले खंडहर में तब्दील हो चुका था।

अब जब अयोध्या विवाद पर अदालत का फैसला सामने आ गया है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। उच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि स्थल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। फिर भी मैं न तो भाजपा नेता के रूप में और न ही वकील के रूप में कुछ कहना चाहूंगा, बल्कि मैं एक भारतीय के रूप में इस फैसले को लेकर यह अपील करना चाहूंगा कि इस फैसले को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। विवाद का जो मुख्य बिंदु था कि संबंधित स्थल राम के जन्म का स्थान है या नहीं उस पर अदालत ने अपना अभिमत स्पष्ट रूप से सुना दिया है। इस फैसले को सभी पक्षों को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल रहे तो इस देश में एक नई मिसाल कामय कर सकते हैं। वस्तुतः यही वह तरीका है जिससे हम शांति–सद्भाव के एक नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं। अयोध्या का मामला समाधान बिंदु के एकदम करीब आ गया है।

***दशकों पुराने विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करना अब अधिक मुश्किल नहीं रह गया है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम सभी समझदारी का परिचय दें।***

उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत पक्ष अथवा पक्षों के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन समय ने हमें समाधान का जो अवसर उपलब्ध कराया है उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस विवाद को और अधिक लंबा खींचकर उसे अन्य जटिलताओं में बांध देना चाहते हैं या समाधान के साथ एकता–भाईचारे का नया आयाम स्थापित करना चाहते हैं? दशकों पुराने विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करना अब अधिक मुश्किल नहीं रह गया है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम सभी समझदारी का परिचय दें। ■

***(भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं अयोध्या मामले के अधिवक्ता)***

*पृष्ठ 7 का शेष*

मंदिर होने के प्रमाण। मुस्लिमों ने निष्कर्षों से मतभेद जताया।

- **tykb 2005** संदिग्ध इस्लामी आतंकी ने विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने पांच आदमियों को मारा।
- **tu 2009** लिब्रहान आयोग ने अपनी जांच शुरू करने के 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बीच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया।
- **26 tykb 2010** इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वादों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। फैसला सुनाने की तारीख 24 सितंबर तय की।
- **17 flrcj 2010** हाईकोर्ट ने एक पक्ष रमेश चंद्र त्रिपाठी के अनुरोध को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाने की तिथि टालने से किया इनकार।
- **21 flrcj 2010** त्रिपाठी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने मामले पर सुनवाई से किया इनकार। मामले को अन्य पीठ के पास भेजा गया।
- **23 flrcj 2010** याचिका पर सुनवाई किए जाने के मामले में न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन और न्यायमूर्ति एच एल गोखले ने दी अलग–अलग राय। कोर्ट ने पक्षों को नोटिस जारी किए।
- **28 flrcj 2010** सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट को फैसला सुनाने की तिथि टालने का निर्देश देने से इकार। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि 30 सितंबर तय की।
- **30 flrcj 2010** इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया। ■

***(दैनिक जागरण से साभार)***

# धर्म से निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष होने की जरूरत

**& çHkkr >k**

**vknj.kh; èkeZfujis{k Hkkb;ksa]**

सादर नमस्कार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि से संबंधित जो फैसला आया उससे तो आप भी सहमत हो गये होंगे हालांकि मुंहजोरी में आप अभी भी बाज नहीं आएंगे। आप यह मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। बावजूद इसके यह बात तो अब विश्व के इतिहास में अंकित हो गई कि तीन इंसानों ने भगवान का फैसला किया है। हालांकि हमारा मानना साफ है कि इंसान भी भगवान के रूप हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप धर्मनिरपेक्ष बंधुओं को इंसान रूपी भगवान भी नहीं दिखता है और भगवान तो दिखता ही नहीं है। न्यायालय के फैसले के बाद यह तो कहना कम से कम शुरू कर दीजिए कि भारत आस्तिकों का देश है, यहां तो नास्तिकों को भी पूजने में आस्तिक विश्वास रखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे परन्तु, यह देश उनको ही मूर्ति के रूप में जगह–जगह स्थापित कर उनकी पूजा–अर्चना करने लगा। भारत का मन मानस और उसके शरीर का शोणित उदारता से भरा पड़ा है। कोई वैज्ञानिक चाहे तो विश्व के लोगों का रक्त परीक्षण करे और एक भारतीय का रक्त परीक्षण करे, मेरा दावा है कि भारतीय रक्त उदारता का सेंसेक्स सबसे ऊंचा होगा। जो जन अपने को धर्मनिरपेक्ष रूपी नागरिक मानते हैं यदि उन भारतीयों का भी रक्त परीक्षण हो तो विश्व के अन्य लोगों की तुलना में उनके रक्त की उदारता सर्वाधिक पायी जाएगी। रोम–रोम में राम बसे हैं, यूं ही नहीं कहा गया। राम एक दैवीय शक्ति हैं यह अदालत को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इस देश में कुछ लोग दैव शक्ति पर ही विश्वास नहीं करते। इस निर्णय से वामपंथियों की दुम गायब हो गयी है वहीं भरत खंडे का प्रत्येक वासी आह्लादित है। रामदेव बाबा का यह कहना कि बाबर और राम के बारे में जब चर्चा होगी तो भारत का प्रत्येक मुस्लिम राम के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करेगा और बाबर की तो चर्चा भी नहीं करेगा।

अदालती इतिहास में बिना भगवान को साक्षी माने, गीता पर हाथ रखे बिना कोई निर्णय पूरा नहीं होता। सत्यमेव जयते के नीचे बैठकर असत्यमेव जयते कैसे लिखा जा सकता है। 30 सितम्बर 3.30 बजे स्वयं रामलला तीनों जजों के मन में विराजित थे। और यही कारण है कि तीनों ने एक स्वर से यह बात स्वीकार की कि यह जन्मस्थान रामलला का है वैसे तो यह जगत ही रामलला की है। मुझे पता नहीं आप धर्मनिरपेक्ष ऐसा क्यों सोच रहे थे कि निर्णय कुछ और आएगा। निर्णय कुछ और आ ही नहीं सकता था। और जो निर्णय आया वो इस विश्व का भाव था। राम राम हो सकता है, कृष्ण कृष्ण हो सकता है पर इस स्थल पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता।

हम जानते हैं कि इस बहस की अति नहीं होगी और अति इसलिए नहीं होगी कि राम आस्था है, बहस नहीं। अच्छा यह होगा कि अब आप जैसे लोग भारत की आस्था के साथ खेलना बंद कर दें। रा.स्व.संघ के प.पू. सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने जिस उदारता का परिचय दिया, यह कहकर कि इस निर्णय में न किसी की जय है और न किसी की पराजय। आज उसी उदारता की विश्व बंधुत्व को आवश्यकता है। रा.स्व.संघ, भाजपा, विहिप, या संघ प्रेरणा से कार्य रहे सभी लोगों का मन उल्लासित इसलिए है कि इस देश में ही नहीं, इस देश के ही कुछ लोग इस बात को लेकर बदनाम कर रहे थे कि संघ गलत है। और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की बात की जा रही है, कम से कम अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि मंदिर तोड़कर ढांचा बनाया गया था। भारत का मन धर्म प्रधान है वह कभी किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का मन कभी नहीं बना सकता। और विश्व के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं आई जिसमें भारतीय शासकों ने किसी उपासना स्थल तोड़कर मंदिर बनाने की चेष्टा की हो। मुस्लिम शासकों द्वारा एक नहीं अनेक घटनाएं आज भी इतिहास में हैं।

धर्मनिरपेक्ष बंधुओं, अब सांप्रदायिक शब्द को शब्दकोष से निकाल दो। और यह भी समझ लो कि कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म सदैव सापेक्ष होता है।

आपसे निवेदन है कि भारत को 21 वीं सदी और विकास पथ पर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिकता की चर्चा न हो। बहुसंख्यकों का अपमान नहीं। अल्पसंख्यकों की रक्षा हो। हिन्दू–मुस्लिम के बीच भातृत्व पैदा हो। यह आज के भारत की आवाज है और देश का मिजाज भी यही है। मुझे पूरी उम्मीद है एक नये इतिहास को गढ़ने की ओर बढ़ेंगे और आप धर्मनिरपेक्ष बंधु धर्म सापेक्ष की ओर बढेंगे। ■

***(लेखक मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद हैं)***

# इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के निर्णय में न्यायिक तथ्यों का विवेचन

& Hkwi.Uæ ;kno

X त 30 सितम्बर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने श्रीराम जन्मभूमि के 60 वर्ष पुराने न्यायिक मुकदमे का निस्तारण किया। इस संदर्भ में खंडपीठ द्वारा चार मुकदमों का निस्तारण किया गया।

**ये चार मुकदमे इस प्रकार हैं-**

पहला मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 21950) एक दर्शनार्थी भक्त गोपाल सिंह विशारद (उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जिला गोंडा, वर्तमान जिला बलरामपुर के निवासी तथा हिन्दू महासभा, गोंडा जिलाध्यक्ष) ने 16 जनवरी, 1950 ई. को सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में दायर किया था। गोपाल सिंह विशारद 14 जनवरी, 1950 को जब भगवान के दर्शन करने श्रीराम जन्मभूमि जा रहे थे, जब पुलिस ने उनको रोका, पुलिस अन्य दर्शनार्थियों को भी रोक रही थी। 16 जनवरी, 1950 को ही गोपाल सिंह विशारद ने जिला अदालत में अपना वाद प्रस्तुत करके अदालत से प्रार्थना की कि 'प्रतिवादी गणों के विरुद्ध स्थायी व सतत् निषेधात्मक आदेश जारी किया जाए ताकि प्रतिवादी स्थान जन्मभूमि से भगवान रामचन्द्र आदि की विराजमान मूर्तियों को उस स्थान से जहां वे हैं, कभी न हटाएं तथा उसके प्रवेश द्वार व अन्य आने–जाने के मार्ग बंद न करें और पूजा– दर्शन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न डालें।'

पहले मुकदमे के ठीक समान प्रार्थना के साथ दूसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 251950) अयोध्या निवासी रामानंद सम्प्रदाय के एक महंत परमहंस रामचन्द्रदास जी महाराज (परमहंस जी के साथ प्रतिवादी भयंकर विशेषण लगाया जाता था, कालांतर में वे श्रीराम जन्मभूमि न्यास के कार्याध्यक्ष तथा श्री पंच रामानंदीय दिगम्बर अनी अखाड़ा के श्रीमहंत बने) ने 5 दिसंबर, 1950 को सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में ही दायर किया और गोपाल सिंह विशारद के मुकदमे के प्रतिवादियों को इस मुकदमे में भी परमहंस जी ने प्रतिवादी बनाया। अदालत ने गोपाल सिंह विशारद को दी गई सुविधा परमहंस जी को भी प्रदान की। पहला और दूसरा अर्थात दोनों मुकदमे एक दूसरे के साथ सामूहिक सुनवाई के लिए जोड़ दिए गए। उपर्युक्त दोनों मुकदमों में सिविल जज, फैजाबाद के द्वारा 3 मार्च, 1951 को स्थायी स्थगनादेश हो जाने के पश्चात् सिटी मजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई, 1953 को अपने एक आदेश के द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को रोक दिया। परंतु मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर के पास भगवान की दर्शन–पूजा का प्रबंध एवं उस ढांचे की देखभाल का अधिकार बना रहा।

तीसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 261959) पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा ने अपने महंत के माध्यम से 17 दिसंबर 1959 को दायर किया और अपने वाद पत्र में बिन्दु क्रमांक 14 में उन्होंने अदालत से राहत मांगी कि 'जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन तथा सुपुर्दगी से रिसीवर को हटाकर उपर्युक्त कार्य वादी निर्मोही अखाड़े को सौंपने के पक्ष



में आदेश जारी किया जाए।'

चौथा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 121961) उत्तर प्रदेश सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से 18 दिसंबर 1961 को जिला अदालत, फैजाबाद में दायर किया गया जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई–

1. वाद पत्र के साथ नत्थी किए गए नक्शे में ए.बी.सी.डी. अक्षरों से दिखाई गई सम्पत्ति को सार्वजनिक मस्जिद घोषित किया जाए, जिसे सामान्यतया बाबरी मस्जिद कहा जाता है तथा उससे सटी हुई भूमि को कब्रिस्तान घोषित किया जाए।
2. यदि अदालत की राय में इसका कब्जा दिलाना सही समाधान नजर आता है तो ढांचे के भीतर रखी मूर्ति और अन्य पूजा वस्तुओं को हटाकर उसका कब्जा दिलाने का आदेश भी दिया जाए।
3. रिसीवर को आदेश दिया जाए कि वह अनधिकृत रूप से खड़े किए गए निर्माण को हटाकर वह सम्पत्ति वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान को स्वयं वादी बनाते हुए तथा उस

स्थान को देवतुल्य मानकर वादी बनाते हुए, दोनों वादियों की ओर से 1 जुलाई, 1989 को जिला अदालत में अपना मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 2361989) दायर किया और अपने वादपत्र के पैराग्राफ 39 में अदालत से मांग की कि–

4. यह घोषणा की जाए कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का सम्पूर्ण परिसर श्रीरामलला विराजमान का है।
5. प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी स्थगनादेश जारी करके कोई व्यवधान खड़ा करने से या कोई आपत्ति करने से या अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर नये मंदिर के निर्माण में कोई बाधा खड़ी करने से रोका जाए।
6. फरवरी 1992 को ही अपने आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने वादी रामलला विराजमान का मुकदमा क्रमांक 2361989 भी अन्य मुकदमों के साथ सामूहिक सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में मंगवा लिया। महंत परमहंस रामचन्द्र दास ने अपना मुकदमा वापस ले लिया।

और इस प्रकार सामूहिक सुनवाई के लिए केवल चार मुदकमे शेष रहे। चारों मुकदमों को नये क्रमांक दिए गए–

1– गोपाल सिंह विशारद का वाद क्रमांक 21950 – ओ.ओ.एस. 11989
2– निर्मोही अखाड़ा का वाद क्रमांक 261959 – ओ.ओ.एस.–31989
3– मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद क्रमांक 121961 – ओ.ओ.एस. –41989
4– वादी रामलला विराजमान का वाद क्रमांक 2361989 – ओ.ओ.एस. –51989

चारों मुकदमों की सामूहिक सुनवाई के पूर्व में दिए गए आदेश की पुष्टि 7 मई, 1992 को पुनः एक आदेश के द्वारा कर दी गई। साथ ही साथ यह भी घोषित किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा 'लीडिंग केस' माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने 12 सितम्बर, 1996 को आदेश दिया कि किसी भी वादी–प्रतिवादी द्वारा किसी भी वाद में जो भी दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, वे सभी वादी अथवा प्रतिवादियों पर लागू होंगे तथा उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

न्यायालय ने चारों मुकदमों में सभी पक्षकारों के दस्तावेजों के आधार पर सौ से अधिक वाद–बिन्दुओं का निर्धारण किया, जिनमें प्रमुख रूप से न्यायालय को इस वाद–बिन्दु पर निर्णय देना था कि क्या श्रीराम जन्मस्थान हिन्दुओं की मान्यता, परंपरा एवं विश्वास के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि है? दूसरा, क्या इस विवादित भूमि पर 1528 से पहले कोई मंदिर स्थित था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया? तीन, क्या इस स्थान को मस्जिद घोषित किया जा सकता है? उपरोक्त तीन वाद– बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य वाद–बिन्दु मुख्य रूप से इन्हीं वाद–बिन्दुओं के विस्तार थे एवं तकनीकी तथा कानूनी पक्षों पर आधारित थे। उपरोक्त पीठ के तीनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस.यू.खान, न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति श्री धर्मवीर शर्मा ने अपने पृथक–पृथक निर्णय दिए। न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति श्री धर्मवीर शर्मा ने सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं निर्मोही अखाड़ा के मुकदमों को समयबाह्य मानकर निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति श्री धर्मवीर शर्मा ने श्री गोपाल सिंह विशारद के मुकदमे को भी यह कहकर निरस्त कर दिया कि इसकी प्रार्थना अब समयबाह्य हो चुकी है। न्यायमूर्ति श्री धर्मवीर शर्मा ने अपने निर्णय में समस्त भूमि को श्रीराम जन्मभूमि स्वीकार किया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने श्रीराम जन्मभूमि को, जहां पर भगवान श्रीरामलला की मूर्तियां स्थापित हैं, उस स्थान को श्रीराम जन्मभूमि के रूप में माना तथा शेष हिस्से को निर्मोही अखाड़े एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने को कहा। उन्होंने यह निर्धारित किया कि यदि वक्फ बोर्ड को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है तो केन्द्र सरकार अपने द्वारा अधिगृहित भूमि में से उन्हें स्थान प्रदान करे। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निर्णय में यह भी इंगित किया गया कि केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित इस्माइल फारुखी बनाम भारत सरकार के निर्णय के अनुसार भी इस वाद भूमि का निस्तारण कर सकती है। यह उल्लेखनीय है कि 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी गई, कि न्यायालय यह निर्धारित करे कि इस स्थान पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं? उपरोक्त इस्माइल फारुखी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल श्री दीपांकर गुप्ता ने शपथ पत्र में सरकार का यह पक्ष प्रस्तुत किया था कि अगर इस स्थान पर मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो यह स्थान हिन्दुओं को सौंपा जाएगा और मस्जिद के प्रमाण मिलते हैं तो यह मुसलमानों को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिन्दु के साथ मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को भेजा था कि वह अपने सिविल वाद में साक्ष्यों के आधार पर इस वाद–बिन्दु का भी निस्तारण करे। इस पीठ में न्यायमूर्ति एस.यू.खान ने भी यह कहा है कि मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिर के भग्नावशेषों को उपयोग करके किया गया। न्यायमूर्ति

श्री खान ने अपने निष्कर्षों में यह भी समाहित किया है कि इस विशाल परिसर के एक हिस्से में हिन्दुओं की मान्यता एवं विश्वास के अनुसार भगवान राम की जन्मस्थली स्थित है। उन्होंने इस सम्पत्ति को हिन्दू–मुस्लिमों एवं निर्मोही अखाड़े में तीन बराबर भागों में बांटने का निर्णय दिया जिसके लिए संबंधित पक्ष न्यायिक 'डिक्री' को तैयार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 90 दिन के अंदर अपना आवेदन दे सकते हैं।

उपरोक्त वाद निर्णय का विश्लेषण करने के पश्चात् यह स्पष्ट मत बनता है कि खंडपीठ ने अपनी सर्वसम्मति के आधार पर इस बात को स्वीकार किया है कि हिन्दुओं की धार्मिक मान्यता, विश्वास को न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि यह स्थान भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में मान्यतापूर्ण स्थान है। न्यायिक निर्णय से यह भी मत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार की गई रपट के अनुसार भी इस स्थान पर बनाई गई मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर एवं पुराने मंदिर के भग्नावशेषों का उपयोग करके किया गया था। इस न्यायिक मुकदमे में न्यायालय ने केवल धार्मिक पुस्तकों को ही आधार नहीं माना, इसके अतिरिक्त काफी संख्या में मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, साहित्यिक कृतियां, यात्रा वृत्तांत, राजस्व रिकार्ड, ऐतिहासिक घटनाक्रम, पुरातत्व सर्वेक्षण, भूगर्भीय सर्वेक्षण, पूर्व निर्णित वादों में बिन्दुओं का विश्लेषण करके यह निर्णय दिया है। यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने समाज के अंदर लम्बे समय से व्याप्त एक विवादित बिन्दु को सकारात्मक निष्कर्ष दिए हैं, जिसके द्वारा भारत की महान सभ्यता एवं संस्कृति के आदर्श श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः यह निर्णय केवल भावनाओं एवं आस्था के आधार पर दिया गया निर्णय नहीं है इसमें न्यायिक तथ्यों का समुचित रूप से विवेचन किया गया है। ■

*(लेखक सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।)*

# पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक : नकवी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी

पश्चिम उत्तर प्रदेश बाढ़ के कहर से त्राहि–त्राहि कर रहा है, हजारों एकड़ कृषि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, हजारों लोगों का जीवन प्रभावित एवं सैकड़ो मौत हुई है, यहां तक कि बड़ी संख्या में गाय, भैंस, बकरियों की या तो मौत हो गई या भुखमरी के चलते बेहाल और बीमार हो गई है।

भाजपा उपाध्यक्ष एवं सांसद श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ज्योतिफुलेनगर आदि का दौरा किया लोगों के हालात की जानकारी ली–जहां एक ओर श्रीमती सोनिया गॉधी, सुश्री मायावती हेलीकाप्टर से घूम कर इन क्षेत्रों में खानापूर्ति कर चले गये, वही श्री नकवी इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पांच दिन तक पैदल, बैलगाड़ी आदि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे घूमे और लोगों से सीधे मिले। उनकी समस्याओं को सुना।

श्री नकवी ने केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग, कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत और बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाय, उन्होंने बाढ़ से प्रभावित खेतों एवं बर्बाद फसलों हेतु एक लाख प्रति बीघा मुआबजे की मॉग है, क्योकि इन खेतो में अब अगले चार–पांच वर्षो तक खेती नही की जा सकी है, बाढ़ में बह गये मकानों हेतु 10 लाख प्रति मकान एवं मृतकों को दस लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा दिया जाय।

श्री नकवी ने केन्द्र सरकार से मॉग की है कि भाजपा शासन काल में ''नदियों को जोड़ने'' का कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते मे डाल दिया है, ''नदियों को जोड़ने की योजना'' ही देश में बाढ़ और सुखे की समस्या का स्थाई समाधान है, केन्द्र सरकार शीघ्र ही इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर शुरू करें।

श्री नकवी ने भाजपा की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु निःशुल्क दवाईयों, भोजन एवं जानवरों हेतु चारे का भी वितरण किया, एवं बाढ़ के चलते बेघर हुए लोगों हेतु अस्थाई कैम्पों की व्यवस्था करवाई। ■

# अनियमित मानसून के कारण बाढ़/सूखा पीडितों में अनाज का मुफ्त वितरण हो

Nitin Gadkari
National President, Bharatiya Janata Party

25 fl rEcj] 2010

प्रिय डा. मनमोहन सिंह जी

नमस्कार,

मैं आपका ध्यान देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण आई तबाही की ओर दिलाना चाहूंगा।

नदियों के आप्लावन से उत्पन्न असामान्य मानसून वर्षा ने व्यापक स्तर पर विनाशलीला रच डाली है।

बहुत से लोग काल के गाल में चले गए, फसलें नष्ट हो गईं, सड़कें पानी में डूब गई और हजारों गांव के रास्ते कट कर आवागमन से अलग हो गए तथा हजारों परिवार बाढ़ की गिरत में फंस गए।

बाढ़ की स्थिति उत्तराखंड, पूर्वी बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश में बिगड़ती चली जा रही है। दिल्ली के अनेकों निचले इलाके घुटनों तक पानी से भरे पड़े हैं। उत्तराखंड बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जहां बांधों पर वर्षा का जल खतरनाक स्थिति तक पहुंच कर ऊपर से बह रहा है तथा टेहरी बांध को खतरा है।

नेपाल में भारी वर्षा से बिहार की कुछ नदियों के तटबंध टूट गए हैं और इन राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों से इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए कमर कसे हुए है और राहत तथा पुनर्वास का कुछ काम शुरू हो चुका है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही, असामान्य रूप से अनिश्चित मानसून के कारण बहुत से क्षेत्रों को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है।

माननीय महोदय, आपको स्मरण होगा कि 12 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा था कि वह भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज के सड़ने की बजाय लोगों में इस अनाज का मुफ्त वितरण करे। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कहा था कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेगी।

मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि बाढ़/सूखा पीड़ित राज्यों के एफसीआई गोदामों में पड़े अनाज को मुफ्त वितरण के लिए उन राज्यों वाले अपने–अपने सार्वजनिक वितरण और अन्य व्यवस्था के माध्यम से बाढ़/सूखा पीड़ित लोगों में बांटा जाए, जिसमें उजड़े लोगों को तथा फसल में बर्बाद हुए किसानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। मुझे मालूम हुआ है कि सरकार के पास 605 लाख टन अनाज पड़ा है जबकि उसकी अधिक से अधिक भण्डारण क्षमता 425 लाख टन है। इस प्रकार 180 लाख टन अनाज खुले गोदामों में पड़ा और सड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप मेरा यह सुझाव मानेंगे और बाढ़/सूखा पीड़ित लोगों को मुफ्त वितरण के लिए अनाज उपलब्ध कराएंगे।

सादर

भवदीय

(नितिन गडकरी)

डा. मनमोहन सिंह
भारत के माननीय प्रधानमंत्री
नई दिल्ली

*(भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के अंग्रेजी पत्र का हिन्दी भावानुवाद)*

Email : nitingadkari@email.com | www.nitingadkari.org

DELHI | BJP Central Office : 11, Ashoka Road, New Delhi-110001. Tel: 011-2300 5700 Fax: 011-2300 5787.
MUMBAI | 1201-A, 12th Floor, Sukhada Co-Op. Hsg. Soc. Sir Pochkhanwala Marg, Worli, Mumbai 400 030. M. S. (India) Tel : (Telefax) : (022) 2497 0287, 2497 1892
NAGPUR | Gadkari Wada, Upadhye Road, Mahal, Nagpur 440 002. M. S. (India) Tel : (Telefax) : (0712) 272 7127, 272 7145

# जनता एनडीए गठबंधन को फिर सत्ता में देखना चाहती है : सीपी ठाकुर

*भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सी. पी. ठाकुर राजनीति में स्वच्छ छवि, कुशल प्रशासक और बुद्धिजीवी राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। चिकित्सक के नाते अपार ख्याति अर्जित करने वाले पद्मश्री डॉ. ठाकुर को कालाजार उपचार में विशेष अनुसंधान हेतु पूरी दुनिया में विशिष्ट सम्मान प्राप्त है। सन् 1984 और '91 में आप पटना संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुये तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाला।*

*पिछले दिनों डॉ. सी. पी. ठाकुर के नई दिल्ली स्थित निवास पर 'कमल संदेश' पाक्षिक पत्रिका के संपादक मंडल सदस्य संजीव कुमार सिन्हा ने उनसे बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश–*

**बिहार में किस तरह के चुनावी परिदृश्य उभर रहे हैं?**

बिहार में 15 साल तक राजद का कुशासन रहा। उसके बाद वर्तमान एनडीए सरकार, जिसमें जदयू और भाजपा शामिल है, उसके आने से जो परिवर्तन हुआ है, उसके चलते लोगों में एक उत्साह है। आशा जगी है। सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। और लोग सोचते है कि सरकार आएगी तो इस वर्तमान सरकार में विकास कार्य शुरू हुआ है वह आगे बढ़ेगा। यह विश्वास लोगों में पैदा हुआ है। और यही चित्र अभी बिहार उपस्थित हुआ है। बिहार में लालू के 15 साल के कुशासन में इतने नरसंहार हुए, अपहरण हुए, हत्याएं हुई कि लोग उस शासन के बारे में सोच करके कांपने लगते हैं। चरवाहा स्कूल खुले, अवधारणा अच्छी थी, लेकिन कागज पर ही सिमट कर रह गई। प्राइमरी स्कूल से मेडिकल कॉलेज तक शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गयी। शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। उस समय प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसके बाद जो परिवर्तन हुआ, उससे लोगों को एक सुखद अनुभूति हुई। लोग सोच रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में आगे चलेगी तो आनेवाले समय में और भी बेहतर परिवर्तन होंगे।

**इस बार विधानसभा के चुनाव दो महीने में छह चरणों के अंतर्गत संपन्न होंगे। आपकी प्रतिक्रिया?**

चुनाव छह चरणों में होने हैं, यह ठीक है। चुनाव सुचारू रुप से संपन्न हो इसलिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गयी है। यह अच्छी बात है। बिहार में पहले बूथ कब्जा होती थी, इस बार नहीं होगी। सरकार नहीं चाहती कि बूथ कब्जा हो। अर्द्धसैनिक बलों के होने से फायदा होगा।

**एक ओर कांग्रेस तथा दूसरी ओर लालू प्रसाद व रामविलास पासवान एकजुट होकर इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। क्या आप इसे दोहरी चुनौती मान रहे हैं?**

कांग्रेस और लालूजी का शुरू से संबंध रहा है, ये दोहरी चुनौती नहीं है, एक ही चुनौती है। सबको मालूम है कि लालूजी की सरकार में भी कांग्रेस के लोग रहे हैं। अभी जब कांग्रेस संकट में थी लोकसभा में, तो उसमें भी लालूजी के लोगों ने मदद की। ये तो भीतर से मिले हुये हैं। कांग्रेस और लालू मिले हुए हैं, इसलिए यह दोहरी नहीं एक ही चुनौती है और हम लोगों को जरूर फायदा होगा।

**भाजपा और जदयू के बीच लगातार मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। किन बातों को लेकर मतभेद है?**

ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा और जदयू में कोई मतभेद नहीं

हैं। सीट का बंटवारा हो चुका है। 102 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और 141 पर जदयू। सभी समस्याओं का समाधान हो गया है।

**चुनाव में धर्म और जाति का कार्ड जमकर खेला जाता है। कब लगाम लगेगा इस पर?**

धर्म और जाति का महत्व तो है। हरेक चुनाव में रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को लेकर हिचकिचाते हैं। भाजपा को अल्पसंख्यक समुदाय के भी वोट मिलते हैं। मुझे भी इनके वोट मिलते रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। बिहार की सरकार, जिसमें भाजपा भी है और जदयू भी, ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बहुत काम किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी भाजपा से जुड़ना चाहिए।

**गत पांच वर्ष एनडीए सत्ता में रही। क्या उपलब्धियां हैं? विशेष करके भाजपा की उपलब्धियों के बारे में बताएं?**

एनडीए में भाजपा एक सहयोगी दल है। जदयू और भाजपा ने दोनों मिलकर साथ काम किया है। भाजपा मंत्रियों ने भी काफी अच्छे काम किये हैं। स्वास्थ्य, सड़क, नगर विकास, वित्त, पशुपालन इन सभी क्षेत्रों में पार्टी मंत्रियों अच्छा काम किया है। मुख्य उपलब्धि है सुशासन यानी अच्छा शासन। पहले शाम सात बजे पटना की सड़कें बंद हो जाती थी, आज लोग निर्भीक होकर सड़क पर घूमते हैं। सड़कें बन रही हैं। उस पर चलना आसान हो गया है। दूरी कम हुई है। नदी पर पुल बनने से, सड़क बनने से विकास को गति मिली है। स्कूल भवन बने हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले स्कूल जाते वक्त भी अपहरण हो जाता था। लड़कियों का स्कूल जाना शुरू हुआ है, उन्हें गणवेश मिले। लड़कियों को तो साईकिल दिया ही जा रहा था अब लड़कों को भी साईकिल दिए जा रहे हैं। इस सबसे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।

**राज्य के मतदाता एक बार फिर एनडीए के पक्ष में मतदान क्यों करें?**

राजद का जो 15 साल का कुशासन था, उसमें कांग्रेस के लोग भी शासन में थे, इसको बिहार में काला अध्याय कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। और बिहार जो कभी अच्छे शासित राज्यों में था आजादी के बाद, 1960 के बाद से यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदलने लगे तो बिहार के विकास की गति धीमी हो गयी। और 1990 में जनता दल की सरकार आयी तो लालू और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। नकारात्मक काम इतना किया कि अपहरण, बलात्कार, डकैती, नरसंहार, शिक्षा चौपट हुयी, शिक्षक मारे जाने लगे। उद्योगपतियों के कत्ल होने लगे। बड़े–बड़े उद्योगपति वहां से भागे, उसके बाद मंझोले उद्योगपति भी भागे, उसके बाद छोटे–छोटे उद्योगपति भी भागे, ट्युशन पढ़ाना शुरू किया। इसमें जो बदलाव आया। लोगों को लगने लगा है कि बिहार में हमलोग आगे आ गये, इसका एक मापदंड है कि बिहार में जो लोग मकान का किराया लेते था आज से पांच–छह बरस पहले, मकान किराया तीन–चार गुना बढ़ गया, और जमीन का दाम उसी तरह से बढ़ गया, पहले कोई जमीन नहीं लेता था, वहां के और नोएडा के लैट के बराबर दाम हैं। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मतदाता एनडीए गठबंधन को वोट जरूर देगा।

**आसन्न विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या ताकत और कमजोरी है?**

पार्टी की ताकत हमारा कार्यकर्ता है। भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता में भले ही रोष हो लेकिन चुनाव में वो तन्मयता से लग जाते हैं। कमजोरी यह है कि पैसे के मामले में हमलोग उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जितना कांग्रेस और अन्य पार्टियां करती है। कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे, तो इसका अच्छे परिणाम आएंगे। इस बार एनडीए गठबंधन के पक्ष में अच्छा माहौल है। ■

## दिनेशानन्द गोस्वामी बने झारखण्ड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी ने श्री दिनेशानन्द गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी झारखण्ड प्रदेश का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। वर्तमान में श्री दिनेशानन्द गोस्वामी झारखण्ड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इससे पूर्व वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।■

# महिला मोर्चा समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प

**&loknnkrk }kjk**

uवगठित भाजपा महिला मोर्चा की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुम्बई में 29 और 30 सितम्बर 2010 को आयोजित की गई। दो दिन की बैठक का उद्घाटन पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन ने किया तथा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती करूणा शुक्ला एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा सह–प्रभारी श्रीमती किरण घई ने अध्यक्षता की। अपने प्रमुख भाषण में महिला प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि हमारा आगामी स्वर्ण युग महिला और बच्चों पर टिका है और हमे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी ने अपने उद्घाटन भाषण में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कहा कि हमें भाजपा के समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ''हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दें। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में नारी शक्ति केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महिलाओं को मदद देगा और उनकी समस्याएं हल करेगा। चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की बात हो, या फिर कानूनी सहायता की बात हो, हमारा लक्ष्य जरूरतमंद महिलाओं को मदद पहुंचाना रहना चाहिए जिससे हम चुनौतियों को अवसर में बदल सकें।''

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपसी विचार–विमर्श सत्र में सभी प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए सुशासन, विकास, कृषि, कानून–व्यवस्था सम्बंधी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए।

भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती दर्शना जरदोश ने अपने किस्म का पहला 'महिला हाट' लगाने का प्रस्ताव रखा जिसमें सभी राज्यों की विशिष्ट दस्तकार महिलाओं को दो दिन की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।

श्रीमती लता एलकर और श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने राजनैतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस–नीत–यूपीए सरकार की विफलताओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। चाहे आवश्यक वस्तुओं की निरंतर बढ़ती कीमतों की बात हो या फिर महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की बात हो, जिसके लिए यूपीए सरकार की कुशासन और निष्प्रभावी नीतियां जिम्मेदार हैं और इनकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

''ग्रामीण महिला नेतृत्व प्रशिक्षण'' कार्यक्रम की भी शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत ग्रामीण भारत की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनके सामाजिक कार्यों को राजनैतिक नेतृत्व में बदलने की पहल की गई।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी ने ''पूर्वोत्तर में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां ''विषय पर एक लेख प्रस्तुत किया और जम्मू तथा काश्मीर महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सकीना बानो ने अपने राज्य की महिलाओं की बदहाली का उल्लेख किया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर एक लेख प्रस्तुत किया।

30 सितम्बर 2010 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने महिला मोर्चा की प्रथम वेबसाईट www.bjpmahilamorcha.com का उद्घाटन किया। अन्त्योदय योजना के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को एक एम्बुलेंस का दान किया। भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सम्बोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा– ''हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें आज अपने देश में फैली राजनीतिक अविश्वनीयता पर विजय पानी है। महिलाएं हमारे राष्ट्र की नियति को बदलने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं की राजनीतिक मुक्ति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे इस प्रयास से झलकती है कि हमने पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत संगठनात्मक आरक्षण प्रदान कर उनके लिए मंच तैयार किया है जिससे हमारी राजनैतिक पार्टी देश की पहली राजनैतिक पार्टी बन गई है, जिसने इस कार्य में सर्वप्रथम पहल की है।''

दो दिन की इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, भाजपा सह–संगठन मंत्री श्री वी. सतीश, सर्व प्रकोष्ठों के समन्वयक श्री महेन्द्र पाण्डे, लोकसभा में उप–नेता श्री गोपीनाथ मुण्डे की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

# भाजयुमो के रहते कोई कश्मीर को आंख भी नहीं दिखा सकता है

**& vujkx Bkdj**

Hkkरत प्रथम अभियान के तहत 30 सितम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 युवाओं को संबोधित करते हुये भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। भाजयुमो के रहते कोई कश्मीर को आंख भी नहीं दिखा सकता है। देश के युवा कश्मीर बचाने के लिये चिंतित और गंभीर हैं। वर्तमान यूपीए सरकार भले ही अलगाववादियों के आगे घुटने टेक दे लेकिन भारत का नौजवान किसी भी परिस्थिति में कश्मीर की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध है। आने वाला समय युवाओं का है। युवा भाजपा के साथ हैं।

इंडिया फर्स्ट कैंपेन के तहत 'कश्मीर बचाओ अभियान' पर दिल्ली विश्वविद्यालय नार्थ कैंपस, आर्ट्स फैकल्टी स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा, दिल्ली प्रदेश ने युवाओं की बड़ी सभा आयोजित की थी। इसमें श्री अनुराग ठाकुर सहित भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती मेहरा, वाणी त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष आर.पी. सिंह, प्रदेश महामंत्रीगण प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नकुल भारद्वाज, महामंत्रीगण गजेन्द्र यादव, मंजीत सिंह, प्रदेश मंत्रीगण राजन तिवारी, सुनील यादव, भाजयुमो राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्रा, पूर्व डूसू उपाध्यक्ष विकास दहिया, जिलाध्यक्षगण राजीव बब्बर, जयप्रकाश, रेखा गुप्ता, सुमन शर्मा, रामचरन गुजराती सहित अनेक युवा नेताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आज की युवा सभा में जो जोश और आक्रोश है वह बताता है कि भारतीय युवाओं में गुणात्मक बदलाव के लिये छटपटाहट है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों की शानदार जीत ने बता दिया है कि कांग्रेस के युवराज का कोई प्रभाव भारतीय युवाओं पर नहीं है। भाजपा की युवा पीढ़ी के रहते कोई कश्मीर को भारत से अलग करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नकुल भारद्वाज ने युवाओं को संकल्प दिलाया कि वे प्राण देकर भी कश्मीर की रक्षा करेंगे। ■

# संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाजपा ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिन्दी भाषा में सम्बोधित कर न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया बल्कि हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित भी किया। 6 अक्टूबर को न्यूयार्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र की 65वीं महासभा को सम्बोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया।

महासभा में राजनाथ जी ने धोती–कुरता पहन व हिन्दी में भाषण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय की संस्कृति को गौरवान्वित किया। हिन्दी में भाषण देने की प्रेरणा उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली। अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण दिया था। राजनाथ सिंह दूसरे भारतीय है जिन्होंने हिन्दी में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर अपनी भाषा का सम्मान बढ़ाया। अपने प्रेरणा स्रोत्र श्री वाजपेयी जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपपोग की यह कड़ी आगे भी जारी रहेगी।

संबोधन में श्री राजनाथ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ युद्व जीतने के लिए विश्व के विभिन्न संप्रदायों का आपस में सक्रिय सहयोग के साथ काम करना जरूरी है। इस संदर्भ में उन्होंने NAM के निमित्त ईराक के वक्तव्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 49/60 प्रस्ताव जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व उसके हर स्वरूप की निंदा की गई है हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। श्री राजनाथ ने भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाये गये कदमों का भी उल्लेख दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद पर अंगीकृत 13 तत्वाधानों में से भारत एक है। आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ने में भारत आर्थिक एक्शन टास्क फोर्स का सक्रिय सदस्य भी बन चुका है। उन्होंने आग्रह किया कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव निःसंदेह यह कहता है कि किसी भी देश को अपनी सीमाओं का इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं होने देना चाहिए। यह अभ्यास बंद कर देना चाहिए और अगर कोई भी देश इससे नहीं बंधता तो संयुक्त राष्ट्र व सुरक्षा परिषद् को इसपर सख्त कार्यवाही करना चाहिए।

श्री राजनाथ ने अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि हम आतंकवाद पर काबू पाने में सफल हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी, राजनीतिक व बौधिक स्तर पर आतंकवाद को संबोधित करने की जरूरत नहीं है। हिंसक साधनों के माध्यम से लक्ष्यों को हासिल करने की मानसिकता को बदलना होगा। अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जैसी प्रख्यात हस्तियों के विचारों के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

हमारी हज़ारों साल की विभिन्नता में एकता, अहिंसा और गैर आक्रमण की संस्कृति में सम्पन्नता के कारण, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक व बौद्धिक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

श्री राजनाथ के साथ उनके राजनीतिक सलाहकार व भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डा. सुधांशु द्विवेदी भी थे।

**भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिन्दी में सम्बोधित किया**

## अरूणाचल प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला

# आम आदमी अनाज से वंचित

अरूणाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री श्री गेगोंग अपांग सहित 96 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। इस घोटाले में अभियुक्त अन्य प्रमुख नागरिक हैं – विद्यमान मुख्यमंत्री श्री डोरजी खंडु के पुत्र श्री पेमा खंडु और कैबिनेट मंत्री श्री जारबोम गैमलिन के भाई तथा विधायक श्री जरकार गैमलिन। विद्यमान विधायक श्री लिखा साया, श्री लोकम तस्सार और श्री टाकम पेरिओ भी अभियुक्त बनाए गए हैं।

प्रतिष्ठित नागरिकों की लम्बी सूची में से केवल पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग और उनके सुरक्षा अधिकारी, मिस्टर भूटिया को गिरफ्तार किया गया है तथा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कई अभियुक्तों को जमानत मिल गई हैं क्योंकि इस घोटाले की जांच कर रहें स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल ने जमानत पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उपायुक्त का कथन रिकार्ड पर है कि स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल ने जमानत की इस अर्जी पर कोई ऐतराज नहीं किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण से सम्बंधित इस मामले में एक हजार करोड़ रूपए का घोटाला होने का अनुमान है। तहकीकात करने वाले अधिकारी श्री एम.एस चौहान, जो स्वयं आई.पी.एस. अधिकारी हैं, ने प्रेस की बैठक मे कहा था कि यह धोखाधड़ी एक हजार करोड़ रुपए तक की हो सकती है। राज्य के आई.पी.एस अधिकारी श्री एम.एस.चौहान इस तहकीकात की बागडोर सम्भाल रहे हैं। जिस अधिकारी ने इस राज्य में अधिकांश अभियुक्त राजनीतिज्ञों के अधीन काम किया था, वे कदाचित इस तहकीकात को पूरी गहराई तक नहीं कर सकते।

निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारीगण सभी कथित तौर पर इस घोटाले से जुड़े हुए हैं।

राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल का गठन गोहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया था। इसमें अरूणाचल प्रदेश से एक आईपीएस अधिकारी और राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारी शामिल हैं।

खाद्यान्नों को असम के खुले बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया था – उस खाद्यान्न को जो अरूणाचल प्रदेश के गरीब लोगों को वैध रूप मे दिया जाना था।

इस गोरखधंधे को बोगस 'Carrying the freight' बिलों द्वारा अंजाम देने की अनुमति दी गई थीं, जो Hill Transport Subsidy पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुलभ होती है उसका दुरूपयोग किया गया था।

यह घोटाला 2000–2004 से शुरू होकर अब 2010 तक जारी है। 2004–2009 के दौरान श्री गेगोंग अपांग मुख्यमंत्री रहे और 2009 से श्री डोरजी खंडु मुख्यमंत्री है। दोनों का ही संबंध कांग्रेस पार्टी से है। आरोप है कि 2000–2004 से संबंधित सारे बोगस बिलों को क्लीयर कर दिया गया है। हमारी मांग है कि 2004 – 2010 के लंबित बिलों को क्लीयर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि तहकीकात के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए।

**भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 23 सितम्बर, 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य**

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा मांग करती है :–

- सभी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
- 2004 – 2010 के लंबित बिलों को क्लीयर नहीं किया जाए बल्कि न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा की जाए।
- राज्य स्तर के पुलिस अधिकारियों से गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल ने तहकीकात में कोई प्रगति नहीं दिखाई है। भाजपा इसकी सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की मांग करती है।
- कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के पुत्र और वर्तमान विधायकों द्वारा किए गए इस भारी घोटाले पर चुप्पी साधे हुए है। भाजपा की मांग है कि इस बारे में कांग्रेस उच्च कमान बयान जारी करे क्योंकि अरूणाचल प्रदेश के आम आदमी के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। ■

# भाजपा के सत्ता में आने पर बांग्लादेश घुसपैठियों को वापस जाना होगा : गडकरी

**& gekj% l\oknnkrk }kjk**

Xत 29 सितम्बर को असम के नौगांव में एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो अपने गृह राज्य में ही युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पाए हैं क्योकि केन्द्रीय सरकार का इस कार्य के लिए दिया गया धन वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केन्द्रीय धन से कांग्रेस के मंत्रीगण तथा उसके अन्य कार्यकर्ता अमीर से अमीर होते जा रहे हैं।

श्री गडकरी ने इस क्षेत्र के घोटालों की मार का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ''आखिर प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के कांग्रेस–शासित राज्यों में भ्रष्टाचार की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि अभी तक भी अरूणाचल प्रदेश के सब्सिडी घोटाले में सीबीआई की जांच क्यों शुरू नहीं हो पाई है? उन्होंने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि सीबीआई मात्र ''कांग्रस ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेटिंग'' बन कर रह गई है और वह कांग्रेस पार्टी की सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गई है। उन्होंने यह बात असम में कई कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार आरोपों का उद्घाटन करने में राज्य और केन्द्र सरकारों की विफलता के सिलसिले में कही।

उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव सन् 2011 में होने वाले हैं, भाजपा अगले चुनावों में सबसे ताकतवर बन कर सामने आने वाली है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हमारी राजनीति का आधार विकास रहता है और हम राज्य के विकास, गरीबों में निःशुल्क राशन की वितरण व्यवस्था और मूल्यों को नियंत्रण करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार भाजपा का निर्वाचन होने पर बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया जाएगा।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की सभी समस्याओं के बारे में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसकी गलत आर्थिक नीतियों तथा कुशासन के कारण हर जगह अस्तव्यस्तता छाई हुई है। जब–जब भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सत्ता में आते हैं तो कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। यूपीए सरकार की वोट बैंक की राजनीति ने देश को खतरे में डाल दिया है।

उन्होंने कहा कि हम भारत के अवैध आप्रवासियों और भय से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। किसानों को गरीबी के कारण आत्महत्या नहीं करने देंगे और हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गरीबों में अनाज वितरण के निर्देश के बावजूद भी टस से मस नहीं हुई।

यह सरकार किसी की सुनती ही नहीं है। भले अनाज सड़ जाए, परन्तु गरीबों के भूख से मर जाने पर भी यह सरकार गरीब लोगों को अनाज नहीं देगी।

गोहाटी विमानतल से सीधे ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पवित्र मठ बतद्रव सत्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए। उनके साथ भाजपा महासचिव श्री विजय गोयल, भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री वरूण गांधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत दत्ता, नौगांव सांसद श्री राजेन गोहाई, गुवाहाटी सांसद श्री बिजोय चक्रवर्ती एवं अन्य वरिष्ठ नेता साथ थे।■

# पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान

भाजपा के प्रदेश प्रभारी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेकैया नायडू ने कहा है कि भाजपा गरीबों और अतिपिछड़े वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता देती है जबकि कांग्रेस गरीबों के लिए सिर्फ भाषण देती है और काम अमीरों के हितों का करती है। भाजपा का आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी खोज अंत्योदय, सेवाभाव है। जबकि कांग्रेस दिखावे की संस्कृति में विश्वास करती है। उसके नेता दलितों की झोंपड़ी में रात बिताने और खाना खाने का नाटक करते है। जबकि भाजपा समाज के हर वर्ग में समता की स्थापना करना चाहती है ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके।

श्री नायडू 25 सितम्बर को भाजपा दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित महारक्तदान शिविर का उद्घाटन कर भाजपा कार्यकर्ताओं के विशाल समूह को मार्गदर्शन दे रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की। रक्तदान शिविर सुबह 10.00 बजे से प्रारम्भ होकर देर शाम तक चला। इस बीच रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा।

उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल जी द्वारा दी दिये गये उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई विचारधारा दी जो कांग्रेस द्वारा उधार लिये गये समाजवाद और साम्यवादियों के अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने जनता के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक विकेन्द्रीकरण आधारित प्रजातंत्र की शिक्षा दी। वह देश का सर्वांगीण विकास चाहते थे। उनकी राजनीति सत्ता पाने के लिये नहीं अपितु राष्ट्र के लिये थी। हम सभी आज उस महान व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह शपथ लेते हैं कि हम उनके द्वारा बताये गये रास्ते पर चलेंगे।

एकात्ममानवदर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते भाजपा के पूर्व रा. अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू। साथ में– भाजपा के रा. महासचिव श्री विजय गोयल, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता एवं अन्य पार्टी नेता।

पिछले 63 वर्षों में कांग्रेस ने केन्द्र और राज्यों में गलत नीतियों का अनुसरण किया है जिसके कारण ही आज देश अमीर और गरीब वर्ग में बंटकर रह गया है। कांग्रेस ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा और समाज को बांटो तथा राज करो की नीति पर चली है। देश में प्रादेशिक असंतुलन, धनी और गरीबों के बीच बढ़ती हुई दूरी, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच अंतर, कट्टरपंथी शक्तियों का बढ़ना, पूर्वोत्तर राज्यो मे विद्रोह और काश्मीर में अलगाववादी आंदोलन कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। आज हम मानव संसाधन विकास में विश्व में 128वें स्थान पर हैं। 42 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। सभी के लिये स्वास्थ्य सुविधा दूर का सपना है।

किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। अब हमें गरीब से गरीब व्यक्ति की उन्नति, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच अंतर को कम करने, प्रादेशिक आकांक्षाओं को समझने और पूरा करने के लिये, आतंकवाद समाप्त करने, पृथकतावादी और अन्य शक्तियों को कड़ाई से समाप्त करने के लिये कार्य करना होगा।

यदि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी पर नजर रखने के लिये पहल की होती तो स्थिति भिन्न होती। सरकार को, शहर की छवि को सुधारने के लिये प्रयत्न करना चाहिये जो इस समय धूमिल है, जगह–जगह पड़े मलबे आदि को हटाकर मुख्य बाजारों को इस प्रकार चमकाना चाहिये की विदेशी अतिथियों को लगे की भारत तेजी से

विकास कर रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने इस अवसर पर घोषणा की कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर अगले सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इन दिनों में भाजपा दिल्ली प्रदेश सम्पूर्ण दिल्ली में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा रक्तदान शिविर लगाएगा। भाजपा रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं की एक निर्देशिका भी प्रकाशित करके सम्पूर्ण दिल्ली में वितरित करेगी ताकि यदि किसी दिल्लीवासी को खून की जरूरत पड़े तो रक्तदाता भाजपा कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित होकर रक्तदान करे ताकि दिल्लीवासियों की प्राणरक्षा हो सके।

उन्होंने सभी आगन्तुकों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए धन्यवाद दिया। रक्तदान शिविर आयोजित करने में भाजपा विधायक और वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉ0 एस.सी.एस. गुप्ता और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर उपस्थित सभी भाजपाजनों ने संकल्प किया कि वे दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलकर एक विकसित और समरस भारत का निर्माण करेंगे।

इस अवसर पर सर्वश्री विजय कुमार मल्होत्रा, विजय शर्मा, मेवाराम आर्य, आर.पी.सिंह, पवन शर्मा, सतीश उपाध्याय, विशाखा शैलानी, रमेश विधूड़ी, आशीष सूद, कमलजीत सहरावत, वीरेन्द्र जुआल, नरेन्द्र टंडन, कुलजीत सिंह चहल, राजन तिवारी, सुनील यादव, सिम्मी जैन, उर्मिला चौधरी, महेन्द्र गुप्ता, अनिल गोयल, संजीव शर्मा, राजेश भाटिया, पंकज जैन, राजीव बब्बर, कैलाश जैन, रामचरण गुजराती, संसार सिंह, सुमन शर्मा, सहित अनेक विधायकों, पार्षदों, मंडल अध्यक्षों तथा हजारों की संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

# प्रथम पुण्यतिथि पर स्व.प्यारेलाल खंडेलवाल का पुण्य स्मरण किया गया

भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्व. प्यारेलाल खण्डेलवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय के सभागार में 6 अक्टूबर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय प्यारेलाल खंडेलवाल का स्मरण करते हुए कहा कि सादगी, सहजता, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में जनसंघ से लेकर भाजपा तक संगठन की सेवा करते हुए अंतिम समय तक पार्टी की विचारधारा की चिंता में लगे रहे। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि पार्टी की विचारधारा,जनता के कल्याण, विकास, देश को परम वैभव पहुंचाने और गौरवशाली मध्यप्रदेश के लिए उनके विचार को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति, विचारधारा, सादगी, सहजता से प्रेरणा लेकर हम सभी जनता की सेवा कर पाएंगे।

प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय प्यारेलाल जी कार्यकर्ताओं के लिए स्वयं एक पाठशाला से कम नहीं थे। उन्होंने संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी की सेवा कर कार्यकर्ताओं के मन में अपनी जगह बनाई। साथ ही संगठन के मूल विचार का विस्तार समाज में जीवनपर्यंत किया। स्वर्गीय प्यारेलाल जी ने जीवन की आहूति देकर संगठन की कार्य विस्तार, उनके जीनव दर्शन से संगठन को आगे बढ़ने में हम सभी प्रण–प्राण से जुट जाएं, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्रदेश महामंत्री संगठन माखन सिंह चौहान ने कहा कि खुद को तिल–तिल जलाते हुए समाज में प्रकाश फैलाने का कार्य करते हुए राष्ट्र को परम वैभव, प्रगति, विकास, गौरव बढ़े उनकी यही विशेषता थी। उन्होंने विचारों का विस्तार करते हुए जीवन पर्यंत कार्य किया। उनके शेष कार्य हम पूर्ण कर सकें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कार्यक्रम का संचालन नंदकुमार सिंह चौहान ने किया। उत्तम सिंह अहलुवालिया ने गीतांजलि के रूप में श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विक्रम वर्मा, थावरचंद गेहलोत, सुंदरलाल पटवा, भगवत शरण माथुर, सुमित्रा महाजन, डॉ.सत्यनाराण जटिया, रघुनंदन शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता ओं ने भी प्यारेलाल खंडेलवाल का पुण्य स्मरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। ■

श्रद्धांजलि

# गुजरात विधानसभा अध्यक्ष अशोक भट्ट नहीं रहे

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री अशोक भट्ट का 30 सितम्बर को निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। श्री भट्ट ने सन् 1975 से लगातार विधायक निर्वाचित होकर कीर्तिमान स्थापित किया था। वे जनता दल–भाजपा गठबंधन सरकार में खाद्य मंत्री भी रहे थे।

### शोक संदेश

श्री अशोक भट्ट पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ–साथ एक सच्चे जनप्रतिनिधि थे। उनके निधन से गुजरात राजनीति में एक अध्याय समाप्त हो गया है।

**-श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री**

श्री अशोक भट्ट समाज के कमजोर वर्गों के उद्धार के प्रति कृतसंकल्प रहते थे। दलगत आधार से ऊपर उठकर सभी दलों के वरिष्ठ नेतागण उनकी राजनीतिक कुशाग्रता को लोहा मानते थे। गुजरात उन्हें सदैव एक प्रतिभाशाली विधायक, मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में स्मरण रखेगा। उनका निधन पार्टी तथा गुजरात के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है।

**-श्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष**

श्री अशोक भट्ट के निधन से भाजपा ने एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को खो दिया है, जिसने गुजरात भाजपा प्रदेश के निर्माण में अपना अपार योगदान दिया था।

**-श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा संसदीय दल अध्यक्ष**

# सुप्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल नन्दन का निधन

हिंदी के जाने माने लेखक और पत्रकार कन्हैयालाल नंदन का 25 सितम्बर को निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे।

नंदनजी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के परस्तेपुर गांव में एक जुलाई 1933 को हुआ था।

पत्रकारिता में आने से पहले कन्हैयालाल नंदन ने करीब चार साल तक मुम्बई विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। वह वर्ष 1961 से 1972 तक धर्मयुग में सहायक संपादक रहे। इसके बाद उन्होंने टाइम्स अएफ इडिया की पत्रिकाओं पराग, सारिका और दिनमान में संपादक का कार्यभार संभाला। तीन सालों तक वह नवभारत टाइम्स के फीचर संपादक भी रहे।

टाइम्स समूह से अलग होने के बाद वह छह साल तक हिन्दी के साप्ताहिक अखबार संडे मेल के प्रधान संपादक रहे। 1995 से उन्होंने इंडसइंड मीडिया में बतौर निदेशक कार्य किया। नंदन को पद्मश्री, भारतेंदु पुरस्कार, अज्ञेय पुरस्कार और नेहरू फेलोशिप सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने विभिन्न विधाओं में तीन दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखीं।

### भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का शोक सन्देश

वे एक अच्छे साहित्यकार, शब्दों के कुशल चितेरे, एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे मित्र थे। हिन्दी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर श्री नन्दन का योगदान भुलाए न भुलाया जा सकेगा। उनकी अनुपस्थिति हम सबको खूब खलेगी।

### श्री लालकृष्ण आडवाणी का शोक संदेश

प्रख्यात पत्रकार एवं लेखक पद्म श्री कन्हैया लाल नंदन के निधन से भारत के साहित्य एवं पत्रकारिता जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है।

भारतीय साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्यकार हुए। पर ऐसे बहुत कम कलम के धनी होते है, जो एक विधा के प्रतीक बन जाते हैं। श्री कन्हैया लाल नंदन विचारक, चिंतक और कवि हृदय थे। श्री कन्हैया लाल नंदन विभिन्न पत्र–पत्रिका एवं समाचार पत्रों के संपादक भी थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए। यही नहीं उन्होंने बाल पत्रिका का भी कुशल संपादन कर बालकों के मन में कथा और कहानियां पढ़ने की ललक पैदा की। कन्हैया लाल नंदन साहित्य एवं पत्रकार जगत के सशक्त हस्ताक्षर थे। ■